

**अध्याय-2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट**

**2.1 कर प्रबन्ध**

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है तथा अपर ई.टी.सी., संयुक्त ई.टी.सी. (जे.ई.टी.सी.), उप ई.टी.सी. (डी.ई.टी.सी.) तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओज) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों तथा नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सहायक स्टाफ द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

**2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम**

2016-17 में 63 इकाइयों में से 39 इकाइयों (राजस्व: 30 तथा व्यय: 09) के वैट/बिक्री कर के निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों से संबंधित की नमूना-जांच ने 2,303 मामलों में ₹ 1,339.32 करोड़ से आवेष्टित कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

**तालिका 2.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम**

राजस्व			
क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	'घोषणा फार्मों के विरुद्ध छूट एवं रियायतें' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	645	518.66
2.	बिक्री/खरीद के छिपाव के कारण कर का अपवंचन	203	103.41
3.	कर का अवनिर्धारण	388	137.00
4.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	131	52.58
5.	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	199	89.78
6.	अन्य अनियमितताएं	710	425.83
	<b>योग (I)</b>	<b>2,276</b>	<b>1,327.26</b>
व्यय			
1.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति	1	11.59
2.	अन्य अनियमितताएं	26	0.47
	<b>योग (II)</b>	<b>27</b>	<b>12.06</b>
	<b>कुल योग (I+II)</b>	<b>2,303</b>	<b>1,339.32</b>

वर्ष के दौरान, विभाग ने 823 मामलों में ₹ 526.50 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 208 मामलों में आवेष्टित ₹ 246.89 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने, वर्ष 2016-17 में 42 मामलों में ₹ 84.41 लाख वसूल किए जिनमें से ₹ 46.78 लाख से आवेष्टित 21 मामले इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

₹ 518.66 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 'घोषणा फार्मों के विरुद्ध छूट एवं रियायतें' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 122.23 करोड़ से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

## 2.3 घोषणा फार्म के विरुद्ध छूट एवं रियायतें

### 2.3.1 विशिष्टताएं

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अवैध सी, ई-1, एफ. और एच. घोषणा फार्मों के विरुद्ध बिक्री पर शून्य/रियायती दर पर कर तथा गलत छूट की अनुमति दी और अविद्यमान डीलरों को रियायती बिक्री की अनुमति दी परिणामतः ₹ 17.37 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 103.27 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहणीय थी।

(अनुच्छेद 2.3.7)

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वैट डी-1 और डी-2 फार्मों के दुरुपयोग के लिए ₹ 262.24 करोड़ के अतिरिक्त कर और पेनल्टी उद्ग्रहण नहीं की।

(अनुच्छेद 2.3.8.1 और 2.3.8.3)

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 'सी' फार्मों के दुरुपयोग के लिए ₹ 79.35 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण नहीं की।

(अनुच्छेद 2.3.8.4)

- कर-निर्धारण प्राधिकारी 'सी' फार्मों के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री पर ₹ 25.77 करोड़ के कर का निर्धारण करने एवं उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

(अनुच्छेद 2.3.8.5)

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 'सी' फार्मों के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.07 करोड़ के सी.एस.टी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.8.6)

- मई 2013 के विभागीय अनुदेशों के बाद भी विभाग द्वारा घोषणा फार्म लोगो और जलचिह्न जैसे सुरक्षा विशेषता के बिना मुद्रित किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.3.15.1)

- कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अवैध वैट सी-4 फार्म के विरुद्ध गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत किया, परिणामतः ₹ 2.13 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ तथा ₹ 6.38 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहण थी।

{अनुच्छेद 2.3.16 (बी) (i)}

### 2.3.2 प्रस्तावना

हरियाणा में बिक्रियों पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) और उसके अधीन बनाए नियमों (एच.वी.ए.टी. नियम, 2003) द्वारा अधिशासित है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसे प्रतिबंध और शर्तों जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हों, के अधीन डीलरों की किसी श्रेणी या कोई माल या माल की श्रेणी को कर के भुगतान से पूर्ण या आंशिक रूप से ऐसी अवधि के लिए जैसी अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, अधिनियम के अधीन छूट दे सकती है। पंजीकृत डीलर को खरीदे गए माल पर अधिनियम के अंतर्गत कर के भुगतान से मुक्त तथा रियायती दर पर कर प्राप्त करेगा,

इस हेतु वैट डी-1<sup>1</sup>, वैट डी-2<sup>2</sup>, वैट सी-3<sup>3</sup> फार्म में एक घोषणा पत्र या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि इस तरीके से और ऐसी छूट/रियायतों को स्वीकृत करने वाली अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके द्वारा खरीदे गए माल उसी प्रयोजन के लिए ही प्रयुक्त किया गया था। एक पंजीकृत डीलर से अन्य पंजीकृत डीलर को बेचे गए माल के लिए कर के भुगतान का लाभ फार्म वैट सी-4<sup>4</sup> में प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर ही अनुमत की जाएगी।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन डीलर, पंजीकृत डीलरों के साथ अंतर्राज्यीय बिक्री/लेन-देन, शाखाओं/एजेंटों को माल के हस्तांतरण और भारत की सीमा में/भारत से बाहर माल के आयात/निर्यात के लिए सी.एस.टी. अधिनियम की धाराओं 5 (3), 6 (2), 6 (4), 6 ए, 8 (3) और 8 (8) के अधीन जैसा प्रावधान है समर्थित प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों के साथ-साथ फार्म सी<sup>5</sup>, ई-1, ई-11<sup>6</sup>, एफ<sup>7</sup> एच<sup>8</sup> आई<sup>9</sup> और जे<sup>10</sup> में निर्धारित घोषणा के बल पर कुछ छूटों/रियायतों के योग्य हैं।

### 2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या:

- सुरक्षा प्रतीक के साथ घोषणा फार्मों के मुद्रण (अनधिकृत मुद्रण एवं फार्मों के दुरुपयोग के परिहार के लिए), घोषणा फार्मों की निगरानी एवं जारी करने की प्रभावी प्रणाली विभाग में विद्यमान है;
- घोषणा फार्म जारी करने के लिए उपयुक्त डाटाबेस विद्यमान है और उसे टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर अपलोड किया जा रहा है;
- डीलरों के लेन-देनों/घोषणा फार्मज का ए.एज द्वारा किया गया क्रास सत्यापन डीलरों द्वारा प्रस्तुत घोषणा फार्मों पर दावा की गई छूटों/रियायतों की सत्यता जांचने के लिए प्रभावी था;

1 निर्दिष्ट प्रयोजनों पर खरीद/बिक्री करने के लिए रियायती दर पर कर के लिए फार्म वैट डी-1  
 2 भारत प्रदेश के बाहर माल के निर्यात से आदेश की अनुपालना के लिए खरीद (कर भुगतान बिना) करने के लिए फार्म वैट-2  
 3 सरकार द्वारा खरीद करने पर कर की रियायती दर के लिए फार्म वैट सी-3  
 4 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी) के लाभ का दावा करने के लिए फार्म वैट सी-4.  
 5 कर की रियायती दर पर अंतर्राज्यीय खरीद/बिक्री करने के लिए फार्म-सी।  
 6 खरीद तथा आगे एक राज्य से दूसरे राज्य को माल पहुंचाने के दौरान की बिक्री के लिए फार्म ई-1 और ई-11.  
 7 अन्य राज्यों में शाखाओं/एजेंटों को माल (बिना कर भुगतान के) का हस्तांतरण करने के लिए फार्म-एफ।  
 8 भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के आदेश की अनुपालना के लिए खरीद (कर भुगतान के बिना) करने के लिए फार्म-एच।  
 9 विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) में एक इकाई द्वारा खरीद करने के लिए फार्म-आई।  
 10 डिप्लोमैटिक मिशन, परामर्श समिति, यूनाईटेड नेशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय और डिप्लोमैटिक एजेंट परामर्शदाता और उनके अधिकारी और स्टाफ द्वारा खरीद करने के लिए फार्म-जे.

- छूटों और रियायतों बारे विभिन्न प्रावधानों/अनुदेशों को ए.एज द्वारा निर्धारण के समय सही रूप से कार्यान्वित किया गया; तथा
- राजस्व के स्राव को रोकने के लिए घोषणा फार्मों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली प्रभावी थी।

### 2.3.4 क्षेत्र एवं प्रणाली

आईडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साईज विदाऊट रिप्लेसमेंट (मॉड्रिक इकाई सैंपलिंग) तरीका लागू करके रैंडम चयन के आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए 23 जिलों में से 10 जिलों<sup>11</sup> के 2013-14 से 2015-16 के दौरान किए निर्धारणों से संबंधित निर्धारण रिकार्डों का चयन किया गया है। चयनित जिलों के रिकार्डों की जनवरी और मई 2017 के मध्य नमूना-जांच की गई। अन्य जिलों के संबंध में मुख्यालय पर उपलब्ध संबंधित सामग्री भी निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल की गई है।

जनवरी 2017 में अपर मुख्य सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ एंटी कांफ्रेंस हुई थी, जहां लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मापदंड तथा जिलों के चयन के लिए अपनाई गई प्रणाली का ब्यौरा दिया गया/पर चर्चा की गई। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट जुलाई 2017 में सरकार को अग्रेषित किया गया। 27 जुलाई 2017 को अपर मुख्य सचिव, (आबकारी एवं कराधान विभाग), ई.टी.सी., ए.ई.टी.सीज और अन्य अधिकारियों के साथ एग्जिट कांफ्रेंस की गई। विभाग/सरकार के विचार निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल कर दिए गए हैं।

### 2.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से निकाले गए थे:

- एच.वी.ए.टी. अधिनियम और नियम, 2003;
- सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 तथा सी.एस.टी. नियम, 1957;
- सरकार/विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं, अनुदेश और परिपत्र; तथा
- माननीय न्यायालय/ट्रिब्यूनल के न्यायिक कथन।

### लेखापरीक्षा उपलब्धियां

### प्रणालीगत कमियां

### 2.3.6 टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.

कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय राज्य क्षेत्रों (यू.टी.ज) में फैले सारे अंतर्राज्यीय डीलरों का केंद्रीकृत एक्सचेंज है। वेबसाईट अंतर्राज्यीय व्यापार की प्रभावी ढंग से निगरानी के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के

<sup>11</sup> गुरुग्राम (पूर्व), जगाधरी, झज्जर में बहादुरगढ़, जींद, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा तथा सोनीपत।

वाणिज्यिक कर विभागों की सहायता के लिए बनाई गई थी। टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. का प्रयोग किसी भी डीलर द्वारा किसी अन्य राज्य में काउंटर पार्टी अंतर्राज्यीय डीलर को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। डीलर सत्यापन के अलावा, विभागीय कर्मचारियों द्वारा अन्य राज्य वाणिज्यिक कर विभागों द्वारा जारी केंद्रीय सांविधिक फार्मों की प्रमाणिकता, उनको डीलरों द्वारा प्रस्तुत रियायत के लिए दावे के समर्थन में टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. प्रयोग करना अपेक्षित था। टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. अंतर्राज्यीय व्यापार चलन की निगरानी के लिए वाणिज्यिक कर विभाग को प्रबंध सूचना प्रणाली और बिजनेस इंटेलीजेंस रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाता है और शक्ति प्रदत्त समिति (ई.सी) को अंतर्राज्यीय व्यापार में प्रचलन मॉनीटर करने के योग्य बनाती है।

### 2.3.6.1 टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर डाटा का अपलोड न होना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने वेबसाइट टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. बनाई और राज्यों को सारे भारत में लेन-देनों/फार्मों की प्रमाणिकता के लिए केंद्रीय घोषणा फार्मों से संबंधित डाटा अपलोड करने के लिए क्रियात्मक और प्रयोग योग्य बनाने के लिए कहा। विभाग ने भी सभी केंद्रीय घोषणा फार्मों को जारी करने संबंधी सूचना वेबसाइट टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर अपलोड करने के लिए दिसंबर 2011 में अनुदेश जारी किए।

दस डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने घोषणा फार्मों अर्थात् सी, एफ, एच, ई-1, ई-11 के विवरण टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर अपलोड नहीं किए थे।

विभाग ने बताया कि सी फार्म जून 2015 से ऑनलाईन जारी किए गए थे। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग ने 2011 में अनुदेश जारी किए थे कि सभी हस्तचालित घोषणा फार्म टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर अपलोड किए जाने थे।

### अनुपालन कमियां

### 2.3.7 झूठे फार्मों के विरुद्ध गलत छूट/रियायत और अविद्यमान डीलरों को बिक्री पर कर के लाभ की अनुमति देने के कारण अवनिर्धारण

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8 (4) के अंतर्गत, एक पंजीकृत डीलर फार्म-सी घोषणा पत्र की प्रस्तुति पर दो प्रतिशत कर की रियायती दर के लाभ का हकदार है। सी.एस.टी. नियमों के नियम 12 (4) के साथ पठित सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) और धारा 8 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार, ट्रांजिट बिक्री पर दस्तावेजों के हस्तांतरण और फार्म ई-1 और सी में घोषणा पत्रों की प्रस्तुति पर कर से छूट है। सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6ए के अधीन, एक राज्य से दूसरे राज्य में शाखा या एजेंट को माल के हस्तांतरण पर एफ फार्म की प्रस्तुति पर कर से छूट प्राप्त है। सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5 (3) और सी.एस.टी. नियमों के नियम 12 (10) के अधीन, किसी माल का क्रय या विक्रय जिसका भारत की सीमा से बाहर निर्यात का अवसर हुआ हो ऐसे निर्यात के लिए अनुबंध की या आदेश की अनुपालना पर घोषणा फार्म एच की प्रस्तुति पर कर से छूट प्राप्त है।

कर के भुगतान से बचने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के साथ पठित सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9 (2ए) के अंतर्गत पेनल्टी उद्ग्रहणीय है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ए.एज ने सी.एस.टी. बिक्री के अवैध दावे के लिए फार्म सी, ई-1, एफ तथा एच में झूठी घोषणा के विरुद्ध ₹ 17.37 करोड़ की राशि के कर की गलत रियायतें/छूट, अविद्यमान डीलरों को क्रय/विक्रय पर कर की छूट तथा ₹ 103.27 करोड़ की राशि के विक्रय का गलत प्रेषण तथा पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ, जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है:

क्र. सं.	डी.ई.टी.सीज की संख्या	डीलरों की संख्या	निर्धारण वर्ष	कर का कम/अवनिर्धारण (₹ करोड़ में)	अनिवार्य पेनल्टी (₹ करोड़ में)	अनियमितताओं की प्रकृति
1	13 <sup>12</sup>	74	2010-11 से 2014-15	11.04	33.11	ए.एज ने ₹ 142.42 करोड़ मूल्य के सी फार्मों के विरुद्ध कर की रियायती दर की अनुमति दे दी। संबंधित प्राधिकारियों से लेखापरीक्षा द्वारा क्रास सत्यापन पर, ₹ 62.40 करोड़ मूल्य के फार्म और टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. वेबसाइट से ₹ 52.92 मूल्य के फार्म झूठे पाए गए थे या क्रेता डीलर को जारी नहीं किए गए, परिणामस्वरूप ₹ 11.04 करोड़ के कर और ₹ 33.11 करोड़ की पेनल्टी का अवनिर्धारण हुआ।
2	3 <sup>13</sup>	3	2010-11 से 2011-12	0.11	0.32	ए.एज ने ₹ 16.69 करोड़ मूल्य के ई-1/सी फार्मों के विरुद्ध कर की छूट की अनुमति दे दी। संबंधित प्राधिकारियों से लेखापरीक्षा द्वारा क्रास सत्यापन पर, ₹ 3.31 करोड़ मूल्य के फार्मों के झूठे होने की पुष्टि हो गई परिणामस्वरूप ₹ 0.11 करोड़ के कर तथा ₹ 0.32 करोड़ की पेनल्टी का अवनिर्धारण हुआ।
3	6 <sup>14</sup>	15	2011-12 से 2012-13	1.13	3.39	ए.एज ने ₹ 29.91 करोड़ मूल्य के एफ फार्मों के विरुद्ध कर की छूट की अनुमति दे दी। संबंधित प्राधिकारियों से लेखापरीक्षा द्वारा क्रास सत्यापन पर ₹ 23.29 करोड़ मूल्य के फार्म झूठे पाए गए परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ के कर और ₹ 3.39 करोड़ की पेनल्टी का अवनिर्धारण हुआ।
4	1 <sup>15</sup>	1	2012-13	0.16	0.48	ए.ए. ने ₹ 3.23 करोड़ मूल्य के एच फार्मज के विरुद्ध कर की छूट की अनुमति दे दी। संबंधित अधिकारियों से लेखापरीक्षा द्वारा क्रास सत्यापन पर, ₹ 3.23 करोड़ मूल्य के फार्म झूठे पाए गए परिणामस्वरूप

<sup>12</sup> अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), जगाधरी, झज्जर, जींद, मेवात, नारनौल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

<sup>13</sup> गुरुग्राम (पूर्व), कुरुक्षेत्र तथा सिरसा।

<sup>14</sup> भिवानी, फरीदाबाद (पश्चिम), हिसार, जींद, रेवाड़ी तथा सोनीपत।

<sup>15</sup> फतेहाबाद।

क्र. सं.	डी.ई.टी.सीज की संख्या	डीलरों की संख्या	निर्धारण वर्ष	कर का कम/अवनिर्धारण (₹ करोड़ में)	अनिवार्य पेनल्टी (₹ करोड़ में)	अनियमितताओं की प्रकृति
						₹ 0.16 करोड़ के कर एवं ₹ 0.48 करोड़ की पेनल्टी का अवनिर्धारण हुआ।
5	3 <sup>16</sup>	10	2010-11 से 2013-14	1.93	5.79	ए.एज ने मार्च 2006 में जारी अनुदेशों के द्वारा अपेक्षित लेन-देनों के सत्यापन के बिना ₹ 36.80 करोड़ मूल्य के घोषणा फार्म एफ के विरुद्ध माल का प्रेषण/हस्तांतरण की अनुमति दे दी। जारी करने वाले कार्यालयों से क्रास सत्यापन से प्रकट हुआ कि ₹ 36.80 करोड़ मूल्य के लेन-देन अविद्यमान डीलरों के साथ किए गए परिणामस्वरूप ₹ 1.93 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹ 5.79 करोड़ की पेनल्टी भी उद्घाह्य थी।
6	1 <sup>17</sup>	1	2012-13	0.67	--	ए.ए. ने ₹ 12.73 करोड़ की प्रेषण बिक्री की गलत अनुमति दी क्योंकि डीलर को प्रेषण आधार पर प्राप्त माल के विक्रय का अधिकार नहीं है और डीलर फार्म एफ के विरुद्ध अन्य राज्यों में अपने एजेंटों को ऐसे माल की आगे प्रेषण नहीं कर सकता था परिणामस्वरूप ₹ 0.67 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ब्याज भी उद्घाह्य था।
7	3 <sup>18</sup>	13	2011-12 से 2013-14	2.33	7.00	ए.एज ने ₹ 33.79 करोड़ मूल्य के सी फार्मों के विरुद्ध कर की रियायती दर की अनुमति दे दी। जारी करने वाले कार्यालयों से क्रास सत्यापन पर ₹ 2.33 करोड़ के कर वाले ₹ 33.79 करोड़ मूल्य के सी फार्म अविद्यमान क्रेता डीलरों द्वारा जारी किए गए, परिणामस्वरूप ₹ 2.33 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹ 7.00 करोड़ की पेनल्टी भी उद्घाह्य थी।
8	2 <sup>19</sup>	10	2011-12 से 2013-14	-	53.18	ए.एज ने साबित किया कि इन डीलरों द्वारा ₹ 103.49 करोड़ मूल्य का कोई लेन-देन नहीं किया गया था और तदनुसार कर उद्ग्रहण किया परंतु सी.एस.टी. विक्रय के जाली दावे के लिए ₹ 53.18 करोड़ की पेनल्टी के उद्ग्रहण में विफल रहे। ऐसा इंगित किए जाने पर, ए.ए. सिरसा ने तीन मामलों में ₹ 2.57 करोड़ की पेनल्टी लगा दी (मई 2016)।
	<b>योग</b>	<b>127</b>		<b>17.37</b>	<b>103.27</b>	

16 गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार तथा जींद।

17 गुरुग्राम (पूर्व)।

18 सिरसा, हिसार तथा जींद।

19 सिरसा तथा जगाधरी।

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर की रियायती दर के लाभ की अनुमति देने से पहले अन्य राज्यों के प्राधिकारियों/टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. वेबसाइट से घोषणापत्र फार्मों की सत्यता की जांच करनी अपेक्षित थी। तथापि, कर-निर्धारण प्राधिकारी फार्म 'सी' और इलैक्ट्रॉनिक रूप में भी अर्थात् टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. वेबसाइट पर घोषणापत्र की सत्यता की जांच करने में विफल रहे जो सही समय आधार पर सत्यापित किए जा सकते थे। विभाग ने उपर्युक्त अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और आशवासित किया कि इन मामलों में सुधारक कार्रवाई की जाएगी।

### 2.3.8 छूट एवं रियायतों के प्रावधानों की अनुपालना न किया जाना

#### 2.3.8.1 वैट डी-1 फार्म का दुरुपयोग

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (3) में प्रावधान है कि जहां कर योग्य माल एक डीलर से दूसरे डीलर को बेचा जाता है तो यदि क्रेता डीलर यह प्रमाणित करते हुए कि माल उसमें निर्दिष्ट प्रयोजन में प्रयोग के लिए है, वैट डी-1 फार्म में घोषणा प्रस्तुत करता है तो कर एक निम्नतर दर पर (4 प्रतिशत) उद्ग्रहणीय होता है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (5) के अनुसार, यदि एक अधिकृत विक्रेता कोई माल खरीदने के बाद निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए माल का प्रयोग करने में विफल रहता है तो ए.ए. उस पर पेनल्टी के रूप में एक राशि जो उस पर अतिरिक्त रूप से लगाई जाने वाले कर के डेढ़ गुणा से अधिक न हो, लगा सकता है। आगे, विभाग ने मार्च 2013 में अनुदेश जारी किए कि निर्माण कार्य ठेकेदार जिन्होंने एकमुश्त कर का विकल्प नहीं लिया है फार्म वैट डी-1 के विरुद्ध माल खरीदने के हकदार नहीं है।

नौ डी.ई.टी.सी.(एस.टी)<sup>20</sup> कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 18 डीलरों ने ₹ 1,131.88 करोड़ मूल्य के वैट डी-1 फार्म में घोषणा के विरुद्ध माल खरीदा था। इसमें से 11 नियमित निर्माण कार्य ठेकेदार थे जिन्होंने एकमुश्त स्कीम का विकल्प नहीं लिया था, ने ₹ 31.92 करोड़ मूल्य का माल खरीदा और सात डीलर जिन्होंने वैट डी-1 फार्म के विरुद्ध ₹ 1,099.96 करोड़ मूल्य का माल खरीदा था, उसे उस प्रयोजन के लिए प्रयोग करने में विफल रहे जिसके लिए खरीदा गया था। इस प्रकार ये डीलर जिन्होंने वैट डी-1 फार्मों का दुरुपयोग किया था, अतिरिक्त कर एवं पेनल्टी अदा करने के दायी थे। ए.एज ने मार्च 2013 और मार्च 2016 के मध्य निर्धारण अंतिम करते समय दो मामलों में ₹ 0.67 करोड़ की पेनल्टी लगाई परंतु अन्य मामलों में ए.एज वैट डी-1 फार्मों के दुरुपयोग के लिए ₹ 101.00 करोड़ का अतिरिक्त कर और ₹ 151.00 करोड़ की पेनल्टी लगाने में विफल रहे। परिणामतः ₹ 252.00 करोड़ के अतिरिक्त कर और पेनल्टी का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग ने इस सीमा तक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया कि जुर्माना उद्ग्रहणीय था परंतु अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण को स्वीकारा नहीं गया। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधानों के अधीन अंतरीय कर और पेनल्टी दोनों उद्ग्रहणीय थे।

<sup>20</sup> भिवानी, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पश्चिम), जगाधरी, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।



### 2.3.8.2 कम वैट डी-1 के कारण अवनिर्धारण

सितंबर 2016 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पलवल कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर ने ₹ 7.61 करोड़ मूल्य की रियायती दर पर माल की बिक्री का वैट डी-1 फार्मों में घोषणा के विरुद्ध दावा किया। ए.ए. ने नवंबर 2015 में निर्धारण अंतिम करते समय डीलर का वैट डी-1 फार्मों के विरुद्ध रियायती दर पर कर निर्धारण कर दिया। परंतु डीलर ने केवल ₹ 1.19 करोड़ अर्थात् ₹ 6.42 करोड़ के कम के लिए वैट डी-1 फार्म प्रस्तुत किए। वैट डी-1 फार्मों के बिना ₹ 6.42 करोड़ पर रियायती दर पर कर के लाभ की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 0.57 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

### 2.3.8.3 वैट डी-2 फार्म का दुरुपयोग

एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 21 के अधीन, एक वैट डीलर भारत से बाहर उस माल के निर्यात के लिए आदेश की अनुपालना के लिए फार्म वैट डी-2 (कर भुगतान के बिना) के विरुद्ध माल खरीद सकता है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (5) के अंतर्गत यदि कोई डीलर खरीदे माल को निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग करने में विफल रहता है तो डीलर अतिरिक्त कर और जो उस माल के क्रय/विक्रय पर उद्ग्रहणीय कर का डेढ़ गुणा से अधिक न हो उतनी पेनल्टी अदा करने का दायी होगा।

मार्च 2015 और दिसंबर 2016 के मध्य तीन डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)<sup>21</sup> के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आठ डीलरों ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान भारत से बाहर निर्यात के लिए वैट डी-2 फार्मों के विरुद्ध ₹ 98.97 करोड़ मूल्य के धान, चावल, पैकिंग सामग्री एवं बर्तन खरीदे परंतु स्वयं निर्यात करने में विफल रहे और फार्म वैट डी-2 फार्मों के विरुद्ध आगे निर्यात के लिए ₹ 80.88 करोड़ मूल्य का उक्त माल स्थानीय डीलरों को बेच दिया और दंडनीय कार्रवाई के दायी हो गए। मई 2013 और मार्च 2016 के मध्य निर्धारण अंतिम करते समय, डी.ई.टी.सी.(एस.टी) रेवाड़ी ने ₹ 38.74 लाख का अतिरिक्त कर लगाया था परंतु ₹ 58.11 लाख की पेनल्टी लगाने में विफल रहे। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कैथल और सोनीपत के मामले में, ए.एज ने वैट डी-2 फार्मों के विरुद्ध निर्यात की कटौती की अनुमति दे दी परंतु ₹ 3.86 करोड़ का कर लगाने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त ₹ 6.38 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहणीय थी। परिणामस्वरूप ₹ 10.24 करोड़ की अतिरिक्त कर और पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत ने अगस्त 2016 में बताया कि एक मामले में ₹ 0.15 करोड़ के कर की अतिरिक्त मांग सृजित की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और आश्वासन दिया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

<sup>21</sup>

कैथल, रेवाड़ी तथा सोनीपत।

#### 2.3.8.4 सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10 ए के अंतर्गत पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत डीलर पुनःविक्रय, विक्रय के लिए माल के उत्पादन/प्रक्रिया/पैकिंग में प्रयोग के लिए सी-फार्म घोषणा के विरुद्ध माल खरीद सकता है परंतु स्वयं प्रयोग अर्थात् उक्त धारा के अंतर्गत निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए माल नहीं खरीद सकता। आगे, अधिनियम की धारा 10 ए में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए खरीदे माल के अप्रयोग के लिए पेनल्टी, जो कर के डेढ़ गुणा से अधिक न हो, का प्रावधान है।

चार<sup>22</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के अभिलेखों की जून 2015 और मई 2017 के मध्य संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आठ मामलों में डीलरों ने फार्म सी के विरुद्ध ₹ 62.57 करोड़ के कर वाले ₹ 616.95 करोड़ मूल्य का तैयार मिश्रित कंक्रीट (आर.एम.सी.), सीमेंट, एयर कंडीशनर और फर्नीचर अक्टूबर 2014 तथा मार्च 2017 के मध्य खरीदा। ये डीलर फार्म सी के विरुद्ध इस माल को खरीदने के हकदार नहीं थे क्योंकि उक्त माल उत्पादक गतिविधियों में प्रयुक्त नहीं किया गया। ए.ए. ने एक मामले में ₹ 14.50 करोड़ की पेनल्टी लगाई और सात मामलों में ₹ 79.35 करोड़ की पेनल्टी लगाने में विफल रहे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और आश्वासन दिया कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

#### 2.3.8.5 अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर का अनुद्ग्रहण

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8 (1) और (2) में प्रावधान है कि राज्य में माल की बिक्री पर लागू कर की दर ऐसे माल की अंतर्राज्यीय बिक्री पर फार्म 'सी' के बिना लागू होगी।

मई और जून 2016 के मध्य डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कुरूक्षेत्र और सिरसा कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि चार मामलों में डीलरों ने 2013-14 और 2014-15 के दौरान ₹ 130.01 करोड़ मूल्य के तंबाकू उत्पाद और बैटरीज खरीदी और सी फार्म प्रस्तुत किए बिना कर के रियायती दर का दावा किया। ए.एज ने जुलाई और दिसंबर 2015 के मध्य इन डीलरों का निर्धारण अंतिम करते समय, ₹ 130.01 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री का निर्धारण करने में विफल रहे। सी फार्मों के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर का निर्धारण न होने के परिणामस्वरूप ₹ 25.77 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा ने जून 2016 में बताया कि तीन मामलों में ₹ 25.11 की अतिरिक्त मांग सृजित की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा तथा आश्वासन दिया कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आगे सूचित किया (अगस्त 2017) कि वसूली प्रक्रिया अधीन थी।

### 2.3.8.6 अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की गलत दर

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत, रेवाड़ी और सिरसा कार्यालयों के मई 2016 और मई 2017 के मध्य अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 13 डीलरों ने 2011-12 और 2014-15 के दौरान ₹ 64.80 करोड़ मूल्य के तंबाकू उत्पादों और भवन निर्माण सामग्री बेची और सी-फार्मों के विरुद्ध रियायती दर पर कर का दावा किया। ए.एज ने नवंबर 2013 और दिसंबर 2015 के मध्य निर्धारणों को अंतिम करते हुए, सी-फार्मों के अभाव में 12.5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की सही दर की बजाय 2 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत की दर पर कर का निर्धारण किया। फार्म 'सी' के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.07 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा ने जून 2016 में बताया कि दो मामलों में आदेश को सुधारा गया और ₹ 5.25 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और आश्वासन दिया कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आगे सूचित किया (अगस्त 2017) कि वसूली प्रक्रिया अधीन है।

### 2.3.8.7 घोषणा फार्मों के बिना कर का अनुद्वयहण

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) में फार्म ई-1 और सी में घोषणा की प्रस्तुति पर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के दौरान परवर्ती बिक्री पर कर से छूट के लिए प्रावधान है। सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8 (1) में प्रावधान है कि राज्य में माल की बिक्री पर लागू कर की दर घोषणा फार्मों के बिना ऐसे माल की अंतर्राज्यीय बिक्री पर लागू होगी।

(i) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पश्चिम) के कार्यालय में अक्टूबर 2016 में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक निर्माणकार्य ठेकेदार ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान रिटर्नस में ₹ 19.35 करोड़ मूल्य के फार्म एफ के विरुद्ध स्टॉक हस्तांतरण का दावा किया। ए.ए. ने सितंबर 2015 में निर्धारण अंतिम करते समय एफ फार्मस के बिना ₹ 19.35 करोड़ के अंतर्राज्यीय स्टॉक ट्रांसफर का निर्धारण करने में विफल रहा। फार्म एफ. के बिना माल के स्टॉक हस्तांतरण पर कर न लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने वर्ष 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों स्वीकार की और सूचना दी कि 2013-14 वर्ष के लिए मामला जांच अधीन था।

(ii) जनवरी 2017 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा कार्यालय के अभिलेखों से संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर ने वर्ष 2014-15 के दौरान फार्म 'सी' और 'ई-1' के विरुद्ध ₹ 2.39 करोड़ मूल्य के चावल बेचे। ए.ए. ने नवंबर 2015 में निर्धारण अंतिम करते समय 'सी' और 'ई-1' फार्मों में घोषणा के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री का निर्धारण करने में विफल रहे। घोषणापत्र फार्मों के बिना बिक्री पर कर न लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 0.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि मामला पहले ही पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास किसी अन्य कारणों के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था।

### 2.3.9 बिक्री का गलत वर्गीकरण

(i) सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य के भीतर माल का क्रय या विक्रय तभी घटित माना जाएगा, यदि विशिष्ट और निश्चित माल के मामले में माल राज्य के भीतर है, उस समय जब विक्रय का ठेका हुआ और अनिश्चित या भविष्य के माल के लिए क्रेता या विक्रेता द्वारा बिक्री के ठेके के विनियोजन के समय, चाहे अन्य पार्टी की सहमति ऐसे विनियोजन से पहले या बाद में हो।

सात<sup>23</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 18 डीलरों ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ 49.57 करोड़ मूल्य का माल हरियाणा के डीलरों को बेचा और बिक्री को अंतर्राज्यीय बिक्री मानते हुए स्थानीय डीलरों से प्राप्त फार्म सी के विरुद्ध कर की रियायती दर के लाभ का दावा इस तर्क पर किया कि माल हरियाणा के क्रेता डीलरों द्वारा अन्य राज्य के डीलरों को सुपुर्द किया गया था। परंतु माल हरियाणा के डीलरों के मध्य बिक्री के अनुबंध के समय राज्य के भीतर ही था और इस प्रकार कर एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय था। ए.एज ने निर्धारण अंतिम करते समय डीलरों के दावे स्वीकार किए और सी फार्मों की प्रस्तुति पर कर की रियायती दर पर बिक्री का निर्धारण किया। परिणामस्वरूप ₹ 4.64 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(ii) सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) में माल के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही के दौरान फार्म ई-1 और सी में घोषणा की प्रस्तुति पर आगामी बिक्री पर कर की छूट का प्रावधान है।

दिसंबर 2014 और अप्रैल 2017 के मध्य डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम) और झज्जर के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पांच डीलरों ने ₹ 9.76 करोड़ मूल्य के घोषणा फार्मों ई-1 और सी घोषणा के विरुद्ध बिक्री पर 2010-11 से 2012-13 के दौरान सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) के अधीन कर की छूट का दावा किया और इसे ए.एज द्वारा जुलाई 2013 और फरवरी 2016 के मध्य निर्धारण अंतिम करते समय अनुमति दे दी गई। परंतु इन डीलरों ने हरियाणा के डीलर से ₹ 9.76 करोड़ मूल्य का माल खरीदा और हरियाणा के अन्य डीलर को आगे बेच दिया और ई-1 और सी फार्म प्रस्तुत करके सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) के अधीन छूट का दावा किया। चूंकि डीलर ने माल को हरियाणा के भीतर ही खरीदा और बेचा और माल की पहली आवाजाही हरियाणा से हुई, डीलर को छूट की गलत अनुमति दी गई। छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 0.78 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और आश्वासन दिया कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आगे सूचना दी (अगस्त 2017) कि वसूली प्रक्रियाधीन है।

### 2.3.10 अवैध दस्तावेजों के विरुद्ध गलत कटौती

केन्द्रीय बिक्री कर की धारा 8 प्रावधान करती है कि प्रत्येक डीलर अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान पंजीकृत डीलर को माल बेचता है तो वह दो प्रतिशत की दर पर कर की अदायगी के लिए बाध्य होगा। रियायती दर पर कर केवल मूल घोषणा फार्मों के विरुद्ध अनुमत है।

चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)<sup>24</sup> अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि चार डीलरों ने 2011-12 और 2012-13 के दौरान वैट डी-1 और 'सी' फार्मों में घोषणा के विरुद्ध ₹ 20.81 करोड़ मूल्य के कर की रियायती दर पर माल बेचा था। ए.एज ने नवंबर 2013 और मार्च 2016 में निर्धारण अंतिम करते समय वैट डी-1 और 'सी' फार्मों की फोटो प्रतियों के विरुद्ध कर की रियायती दर पर ₹ 20.81 करोड़ की बिक्री निर्धारित कर दी। वैट डी-1 और सी फार्मों की फोटो प्रतियों के विरुद्ध कर की रियायती दर की गलत अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 2.04 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस में बताया कि मूल दस्तावेज पृथक फाइलों में रखे गए थे तथा रियायतें/छूट की अनुमति अधिनियम के अधीन दी गई थी। विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि रियायतें/छूट केवल मूल घोषणा फार्मों की प्रस्तुति पर अनुमत थी और लेखापरीक्षा के दौरान कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और इसका अक्टूबर और नवंबर 2017 में भी सत्यापन किया गया था।

### 2.3.11 सत्यापन के बिना कर का लाभ

2013-14 और 2014-15 वर्षों के लिए संवीक्षा निर्धारण के लिए मामलों के चयन के लिए मानदंड क्रमशः मई 2015 और 2016 में परिचालित किए गए थे। वर्ष में ₹ 25 लाख से अधिक आई.टी.सी. या ₹ 10 करोड़ से ऊपर सकल टर्नओवर वाले मामले संवीक्षा निर्धारण के लिए चुने जाने थे। आगे, जुलाई 2013 में जारी अनुदेशों के अनुसार खरीदों के शत-प्रतिशत सत्यापन और अंतर्राज्यीय लेन-देनों और उसके घोषणा फार्मों के साथ कर के वास्तविक भुगतान की संवीक्षा निर्धारण के समय निर्धारित की जानी थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2013-14 और 2014-15 निर्धारण वर्ष के लिए ₹ 10 करोड़ से अधिक जी.टी.ओ. या 25 लाख से अधिक आई.टी.सी. वाले 120 मामले जिनका कर ₹ 155.48 करोड़ था, आई.टी.सी. का सत्यापन किए बिना और अंतर्राज्यीय लेन-देनों के लिए घोषणा फार्मों को प्रस्तुत न करने के लिए मांग सृजित करके एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 15 (3) के अधीन संवीक्षा की बजाय एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन मानी गई स्कीम के अधीन निर्धारित किए गए थे। योग्य मामलों को संवीक्षा निर्धारण के लिए न लेकर, ₹ 155.48 करोड़ के आई.टी.सी. का लाभ की अनुमति, क्रय और कर के वास्तविक भुगतान का सत्यापन किए बिना, दे दी गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी।

<sup>24</sup> जींद, पलवल, पानीपत तथा पंचकुला।

### 2.3.12 ब्याज का अनुद्ग्रहण

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8 (1) में घोषणा फार्म सी के विरुद्ध दो प्रतिशत की रियायती दर पर कर के उद्ग्रहण का प्रावधान है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के साथ पठित सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9 (2ए) के अनुसार कर के भुगतान में चूक के मामले में ब्याज उद्ग्रहणीय है।

(i) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर ने 2012-13 के दौरान ₹ 30.37 करोड़ मूल्य के फार्म सी के विरुद्ध रियायती दर पर डिटरजेंट की बिक्री का दावा किया और ए.एज ने मार्च 2016 में निर्धारण अंतिम करते समय इसकी अनुमति दे दी। डीलर द्वारा रिटर्नस के साथ ₹ 0.50 करोड़ मूल्य के दो प्रतिशत की दर पर न्यूनतम कर का भुगतान अपेक्षित था जो वह जमा करने में विफल रहा। अतः डीलर ₹ 0.42 करोड़ का ब्याज अदा करने का दायी था।

(ii) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि चार डीलरों ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान फार्म एच के विरुद्ध बिक्री पर कर की छूट का दावा किया। ए.एज ने नवंबर 2015 और मार्च 2016 के मध्य निर्धारण अंतिम करते समय 'एच' फार्मों की प्रस्तुति न होने के कारण ₹ 3.73 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी। चूंकि निर्धारण के समय डीलर अपना दावा साबित नहीं कर सका, डीलर रिटर्नस के साथ अदा न किए कर पर ब्याज अदा करने का दायी था। अतः देय कर पर ब्याज उद्ग्रहण न होने के परिणामस्वरूप ₹ 3.07 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा तथा सुधारक कार्रवाई प्रारंभ करने का आश्वासन दिया।

### 2.3.13 कर के अधिक कैरी फारवर्ड का लाभ

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 (1) में प्रावधान है कि इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति वैट डीलरों से किए खरीद पर कर के भुगतान के बाद दी जाएगी जो बाद में डीलर का आउटपुट कर देयता के विरुद्ध समायोजित कर ली जाएगी और यदि आउटपुट कर देयता अधिक पाई जाती है तो इसे भविष्य कर देयता के समायोजन के लिए अगले साल में कैरी फारवर्ड किया जाएगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर को वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 25 लाख के कर के अधिक कैरी फारवर्ड की अनुमति दी गई। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सत्यापन के अनुसार, 2012-13 में डीलर द्वारा प्रस्तुत 'सी' फार्म जाली पाए गए क्योंकि यह संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए थे। ए.एज ने वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण अंतिम करते समय अक्टूबर 2015 में 2013-14 वर्ष के लिए ₹ 25 लाख के अधिक कैरी फारवर्ड की अनुमति दे दी परंतु 2012-13 वर्ष के लिए ए.ए. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि डीलर ने झूठे घोषणा फार्म प्रस्तुत किए थे। परिणामतः ₹ 25 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और सुधारक कार्रवाई प्रारंभ करने का आश्वासन दिया।

### 2.3.14 वैट सी-3 फार्म की गलत स्वीकृति

एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 21 के साथ पठित एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (3) (बी) में प्रावधान है कि पंजीकृत डीलर न होते हुए वैट सी-3 फार्म में घोषणा के विरुद्ध सरकार को बेचे गए माल पर चार प्रतिशत की रियायती दर पर कर देय होगा। आगे, गैर सरकारी विभागों में निर्माण कार्य ठेके के निष्पादन में स्थानांतरित सामग्री ऐसी सामग्री की बिक्री पर लागू दर पर निर्धारित की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक निर्माण कार्य ठेकेदार ने हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल निगम (एच.एस.आर.बी.सी) रेवाड़ी के लिए निर्माण कार्य का ठेका लिया और ₹ 24.08 करोड़ मूल्य के वैट सी-3 फार्म प्रस्तुत किए। ए.ए. ने निर्धारण अंतिम करते समय निर्माण कार्य ठेके को सरकारी विभाग के लिए निष्पादित मानते हुए सामग्री का हस्तांतरण 5.25 और 12.5 प्रतिशत कर पूर्ण दर के बजाय चार प्रतिशत की दर पर निर्धारित किया। एच.एस.आर.बी.सी. सरकारी विभाग नहीं था और निर्माण कार्य ठेके के निष्पादन में स्थानांतरित सामग्री ऐसी सामग्री के क्रय/विक्रय पर लागू दर पर निर्धारणीय थी। अवैध फार्म वैट सी-3 स्वीकृत करके डीलर को कर की निम्नतर दर पर निर्धारित करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ के कर का अवनियमन हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और कानून के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ करने का आश्वासन दिया।

### 2.3.15 आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली

आंतरिक नियंत्रण एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए जांच और सन्तुलन प्रणाली द्वारा अपनी गतिविधियों को शासित करता है। एक अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली और कोड और मैनुअल की कड़ी अनुपालना विभाग को लागू नियमों की अनुपालना, वित्तीय रिपोर्टिंग का भरोसा, प्रभाविकता और इसके परिचालन में दक्षता के बारे उचित आश्वासन प्रदान करती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन के हाथों में यह सुनिश्चित करने का यंत्र है कि निर्धारित प्रणालियां उचित ढंग से काम कर रही हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा घोषणा फार्मों की प्राप्ति और जारी करने की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

## मुद्रण, भंडार का जारी करना और घोषणा फार्मों का उपयोग

### 2.3.15.1 घोषणा फार्मों का मुद्रण और निगरानी

पंजीकृत डीलर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान सी.एस.टी. फार्मों को प्रयोग करके कर की छूट/रियायतों का लाभ उठाते हैं। विभाग ने मई 2013 में अनुदेश जारी किए कि घोषणा फार्मों का मुद्रण आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) द्वारा अनुमोदित नमूने के अनुसार ही होना चाहिए। फार्मों का कागज सुरक्षा विशेषता जलचिह्न के साथ उच्चतर गुणवत्ता के होने चाहिए। पीले रंग के सी फार्म पर भारत सरकार का लोगो था। फार्म विशिष्ट संख्या के साथ होना चाहिए जिसे आपूर्ति से पहले जांचा जाना चाहिए। फार्म की भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस) के अनुसार सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच करवाई जानी चाहिए।

ई.टी.सी. कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सी, ई-1 और ई-11, एफ और एच फार्मों के कागज की गुणवत्ता निम्नतर थी जिसके कारण जाली फार्म आसानी से मुद्रित किए जा सकते थे और फार्मों का टिकाऊपन भी समुचित नहीं था। ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालय ने डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पश्चिम) को जुलाई 2013 में गलत क्रम संख्या के साथ मुद्रित घोषणा फार्मों की आपूर्ति की थी। अनुदेश के अनुसार ई-1 फार्म क्रम संख्या एच.आर./013 ई-1-00010001 से 50,000 के साथ मुद्रित किए जाने अपेक्षित थे जबकि विभाग ने क्रम संख्या 1,31,141 से 1,31,200 और 1,30,820 से 1,31,000 ई-1 फार्म मुद्रित करवाए और आपूर्ति की। विभाग ने फार्मों के नमूने को बी.आई.एस. मानकों के अनुसार जांच के लिए नहीं भेजा। घोषणा फार्मों पर न भारत सरकार का 'लोगो' खुदा हुआ था और न ही जलचिह्न था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया और विभाग द्वारा जारी अनुदेशों की अनुपालना का आश्वासन दिया।

### 2.3.15.2 घोषणा फार्मों के उचित लेखाओं का रख-रखाव न होना

ई.टी.सी. कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान घोषणा फार्म सरकारी प्रेस के साथ-साथ निजी प्रिंटर से मुद्रित करवाए थे परंतु कोई उचित स्टॉक और वितरण रिकार्ड नहीं रखा गया। आगे, चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईं:

- डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत और सोनीपत कार्यालयों में 3,032 सी फार्म वार्ड के रिकार्ड कीपर द्वारा नाजिर (स्टाक का प्रभारी) को वापस किए गए (दिसंबर 2015) परंतु स्टॉक में उन्हें वापस लिया नहीं दिखाया गया। इसके अतिरिक्त, 175 सी. फार्म का हिसाब सी फार्मों के स्टॉक में कम दिखाए गए।
- ई.टी.सी. कार्यालय ने नवंबर 2014 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत के कार्यालय को 5,000 एच फार्म जारी किए परंतु 1,000 एच फार्म प्राप्त किए गए (नवंबर 2014) परिणामतः 4,000 एच फार्मों की कम प्राप्ति थी।
- डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रेवाड़ी के कार्यालय में अप्रैल 2017 को 52,000 सी फार्मों का अंतिम स्टॉक था परंतु जारी करने के रजिस्टर में दिए गए ब्यौरे में 5,883 सी फार्म का अंतिम स्टॉक दर्शाया गया था और 46,117 सी फार्मों के अंतर की व्याख्या नहीं की गई।



आगे यह भी देखा गया कि 6 सी फार्मों का लेखा स्टॉक रजिस्टर में कम दिखाया गया था। इसके अलावा, स्टॉक रजिस्टर के अनुसार एफ फार्मों का अंतिम स्टॉक 13,000 फार्मों का था जबकि जारी करने वाले रजिस्टर के अनुसार अप्रैल 2017 को क्लोजिंग स्टॉक 4,080 एफ फार्मों का था। 8,920 एफ फार्मों के अंतर का ब्यौरा नहीं था।

- मेवात में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) नूंह ने डीलरों को 105 'सी' फार्म जारी किए थे परंतु डीलर से पावती प्राप्त नहीं की। इन फार्मों के दुरुपयोग को नकारा नहीं जा सकता।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

### 2.3.15.3 घोषणा फार्मों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन

हरियाणा राज्य को यथा लागू, पंजाब वित्तीय नियम वोल्यूम-1 के नियम 15.16 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी उपभोग्य माल और सामग्री का भौतिक सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए और त्रुटियां, यदि कोई हो, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई के लिए स्टॉक रजिस्टर में रिकार्ड किया जाना चाहिए।

ई.टी.सी. और 10 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि घोषणा फार्मों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और अनुदेशों की अनुपालना का आश्वासन दिया।

### 2.3.15.4 अन्य राज्यों के वर्तमान एवं अप्रचलित घोषणा फार्मों के नमूने का डेटाबेस

सी.एस.टी. (हरियाणा) नियम, 1957 के नियम 7 (7) और (8) के अनुसार, आबकारी एवं कराधान विभाग, अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकता है कि एक विशेष क्रम, रूप या रंग के घोषणा फार्म को अधिसूचना में निर्दिष्ट दिनांक से अप्रचलित एवं अवैध माना जाएगा। इस अधिसूचना की प्रति अन्य राज्य सरकारों को उनके कार्यालय के गजट में प्रकाशन के लिए भेजी जाएगी।

ई.टी.सी. कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 239 ई-1 घोषणा फार्म अप्रचलित हो गए थे जैसा कि जुलाई 2013 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पश्चिम) द्वारा सूचित किया गया परंतु इस बारे कोई अधिसूचना विभाग द्वारा जारी नहीं की गई। अभिलेखों की आगे संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अन्य राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों ने घोषणा फार्मों के नमूने की मांग की जिसकी विभाग द्वारा आपूर्ति की गई परंतु जाली या नकली घोषणा फार्मों को पहचानने के लिए अन्य राज्य के घोषणा फार्मों के नमूने रखने में विफल रहे। अतः, अवैध और अप्रचलित घोषणा फार्मों के स्वीकृत किए जाने का जोखिम था।

### 2.3.15.5 रियायतों/छूटों के डाटाबेस का न रखा जाना

सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अधीन, पंजीकृत डीलर फार्म 'सी' और 'एफ' में निर्धारित घोषणापत्रों की प्रस्तुति पर अंतर्राज्यीय लेन-देनों पर कर पर कुछ छूटों और रियायतों के योग्य है जिससे राज्य के राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव है। हरियाणा से बाहर बेचे/स्थानांतरित मुख्य वस्तुओं पर छोड़े गए राजस्व का डेटाबेस अनिवार्य है ताकि विभाग उन वस्तुओं के बारे में सतर्क रहे जहां डीलर भारी संख्या में रियायतों और छूटों के दावे करने को वरीयता देते हैं।

ई.टी.सी. और दस डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के जनवरी 2017 और मई 2017 के मध्य अभिलेखों की संवीक्षा से संकेत मिला कि विभाग ने ऐसी छूट/रियायत का डाटाबेस नहीं रखा हुआ था। ऐसे डाटाबेस को विभाग द्वारा वास्तविक समय के आधार पर फार्मों के मुद्रण, जारी करने, स्टॉक और उपयोग पर निगरानी के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसा डाटाबेस दी गई छूट/रियायत के क्रास सत्यापन और छोड़ी हुई वस्तुओं पर राजस्व की मॉनीटरिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। राज्य सरकार ऐसे डाटाबेस को राज्य की राजस्व नीति बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकती है।

### 2.3.16 मॉनीटरिंग

अधिनियमों के पालन एवं कार्यान्वयन के लिए विभाग में प्रभावी मॉनीटरिंग यंत्रावली अपेक्षित है। संदिग्ध डीलरों का ऑनलाईन डाटाबेस रखकर, धोखाधड़ी के मामलों की सूची बनाकर, सामयिक रिपोर्ट, विभागीय अनुदेशों की अनुपालना और उच्चतर प्राधिकारियों के निर्देश, अनुवर्ती कार्रवाई और कर अपवंचन रोकने के लिए फील्ड कार्यालयों के निरीक्षण के माध्यम से प्रभावी मॉनीटरिंग की जा सकती है।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने फील्ड कार्यालयों द्वारा घोषणा फार्म की प्राप्ति और जारी करने की आवधिक रिपोर्ट निर्धारित नहीं की थी। भले ही घोषणा फार्मों के क्रास सत्यापन की प्रक्रिया, समय-समय पर जारी किए अनुदेशों/निर्देशों की अनुपालना की उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा मॉनीटरिंग नहीं की गई जैसा कि नीचे चर्चित है:

#### (ए) जाली/अवैध घोषणापत्रों का प्रयोग करने वाले संदिग्ध डीलरों की घोषणा के लिए प्रणाली का अभाव

कर के अपवंचन को रोकने के लिए विभाग संदिग्ध डीलरों की उनके पिछले इतिहास पर आधारित डाटाबेस रखे, जिसमें धोखाधड़ी, फार्मों का दुरुपयोग, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में कर की छूट या रियायत का लाभ उठाने के लिए इन डीलरों द्वारा अवैध फार्मों का प्रयोग के मामलों की सूची हो। यह डाटाबेस, यदि बने और विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए तो न केवल संदिग्ध रिकार्ड वाले डीलरों पर निगरानी रखना विभाग के लिए सुगम करेगा बल्कि अन्य राज्यों को भी ऐसे डीलरों से सचेत करेगा और ऐसे मामलों की प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, ऐसी यंत्रावली की विद्यमानता उन डीलरों के लिए रोकथाम का कार्य करेगी जो ऐसे गलत कार्यों में संलिप्त हों।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पश्चिम) और झज्जर के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो डीलर वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान अवैध घोषणा फार्म बार-बार प्रस्तुत कर रहे थे परंतु विभाग उन्हें संदिग्ध डीलर घोषित करने में विफल रहा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकारा और संदिग्ध डीलर जो जाली घोषणा फार्मों के प्रयोग में संलिप्त हैं की सूची तैयार करने का आश्वासन दिया।

**(बी) उच्चतर प्राधिकारियों के निर्देशों की अनुपालना न करना**

जे.ई.टी.सी. (रेंज) गुरुग्राम ने, अप्रैल 2016 में डी.ई.टी.सी. (गुरुग्राम) को सरकारी राजस्व के हित में एच.वी.ए.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन क्रय/विक्रय के सत्यापन और अपेक्षित कार्रवाई के बारे में अनुदेश जारी किए।

(i) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पश्चिम) और जौंद के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो डीलरों को फार्म वैट सी-4 की प्रस्तुति के विरुद्ध ₹ 2.13 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दे दी गई थी। खरीद के सत्यापन की रिपोर्टों के अनुसार, विक्रेता डीलर ने क्रेता डीलर को कोई विक्रय नहीं दर्शाया था, और विक्रेता डीलर का पंजीकरण प्रमाण-पत्र क्रय/विक्रय के लेन-देन से पहले रद्द कर दिया गया था। संयुक्त ई.टी.सी. (रेंज), गुरुग्राम द्वारा कर और पेनल्टी लगाने के लिखित अनुदेशों के बावजूद ए.ए. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और अवैध फार्म वैट सी-4 के विरुद्ध आई.टी.सी. की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.38 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहणीय थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकारा और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ii) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर को फार्म वैट सी-4 की प्रस्तुति के विरुद्ध 0.60 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दे दी। खरीद के सत्यापन की रिपोर्टों के अनुसार, विक्रेता डीलर ने इस डीलर को की गई बिक्री पर कर अदा नहीं किया था। तदनुसार, ए.ए. ने ₹ 0.60 करोड़ की आई.टी.सी. की अनुमति रद्द कर दी। अपील पर संयुक्त ई.टी.सी. (अपील) फरीदाबाद ने मामला ए.ए. को आई.टी.सी. की अनुमति रद्द करने और ब्याज प्रभारित करने और पेनल्टी लगाने पर नए निर्णय के लिए वापस भेज दिया (अक्टूबर 2013)। अक्टूबर 2015 में पुनर्विचार मामलों पर निर्णय देते समय ए.ए. ने ₹ 0.60 करोड़ की आई.टी.सी. की अनुमति रद्द कर दी पर पेनल्टी लगाने में विफल रहे। पेनल्टी के उद्ग्रहण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.80 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकारा तथा आश्वासन दिया कि माननीय ट्रिब्यूनल के निर्णय के बाद पेनल्टी लगाई जाएगी।

**(सी) विभागीय अनुदेशों की अनुपालना न करना**

मार्च 2006 और जुलाई 2013 में जारी अनुदेशों के अनुसार ए.एज द्वारा निर्धारण के अंतिमकरण से पहले राज्य के भीतर तथा बाहर अन्य डीलरों के अभिलेखों के क्रास सत्यापन के माध्यम से लेन-देनों की प्रमाणिकता की पुष्टि करनी अपेक्षित थी।

छः<sup>25</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 176 मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 43.80 करोड़ के कर वाले माल की अंतर्राज्यीय बिक्री/हस्तांतरण के लेनदेन का सत्यापन किए बिना, सी फार्मों के विरुद्ध कर की रियायत दर और ₹ 1,347.54 करोड़ मूल्य के एफ फार्मों के विरुद्ध कर की छूट की अनुमति दे दी। उपर्युक्त अनुदेशों की अनुपालना न होने को ध्यान में रखते हुए कर की छूट/रियायत की प्रमाणिकता का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया कि लेन-देनों/फार्मों के सत्यापन के लिए मार्गनिदेश केवल संवीक्षा मामलों के लिए थे। विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि डीलर केवल स्थानीय घोषणा फार्म प्रस्तुत करने के लिए छूट प्राप्त थे तथा सी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत कर की रियायत/छूट प्राप्त करने के लिए उनसे सभी आवश्यक दस्तावेज/घोषणा फार्म प्रस्तुत करने अपेक्षित थे।

**(डी) अवैध वैट सी-4 फार्मों के विरुद्ध आई.टी.सी. का लाभ**

एच.वी.ए.टी. नियम, 2003 के नियम 20 में निहित प्रावधानों के अनुसार, विक्रेता डीलर द्वारा फार्म वैट सी-4 पर बढ़ते क्रम में क्रम संख्या, वर्ष तथा कर के भुगतान के विवरण मुद्रित होने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी और मई 2017 के मध्य) कि चार<sup>26</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों ने 92 डीलरों को 2010-11 से 2014-15 वर्षों के दौरान ₹ 1,078.04 करोड़ मूल्य की खरीद पर वैट सी-4 की प्रस्तुति के विरुद्ध ₹ 53.68 करोड़ की आई.टी.सी. की अनुमति दी। फार्म वैट सी-4 की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन फार्मों पर विक्रेता डीलर द्वारा क्रम संख्या, वर्ष तथा कर के भुगतान के विवरण मुद्रित नहीं थे। प्रावधानों की अनुपालना न होने के कारण लेखापरीक्षा में ₹ 53.68 करोड़ के आई.टी.सी. की सत्यता का सत्यापन नहीं हो सका।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और इन मामलों का सत्यापन करने का आश्वासन दिया।

**(ई) एक मास से अधिक के लेन-देनों से निहित एफ फार्मों की स्वीकृति**

सी.एस.टी. नियम 1957 के नियम 12 (5) के साथ पठित सी.एस.टी. अधिनियम 1956 की धारा 6ए के अनुसार पंजीकृत डीलर द्वारा माल की आवाजाही और प्रेषणी द्वारा प्राप्त करने वाले मुख्यालय/शाखा कार्यालय द्वारा प्राप्ति फार्म एफ में घोषणा प्रस्तुत करके सिद्ध करना अपेक्षित है। इसके अलावा, एक एफ फार्म केवल एक कलैण्डर मास के दौरान किए माल के हस्तांतरण को आवृत करेगा।

<sup>25</sup> गुरुग्राम (पूर्व), झज्जर में बहादुरगढ़, जींद, पलवल, पानीपत तथा सोनीपत।

<sup>26</sup> झज्जर, पानीपत, रेवाड़ी तथा सिरसा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फतेहाबाद, पलवल और पानीपत के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पांच डीलरों ने ₹ 8.94 करोड़ मूल्य के स्टॉक हस्तांतरण के लाभ का दावा किया और नवंबर 2013 और मार्च 2016 के मध्य निर्धारण अंतिम करते समय ए.एज द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई। आगे फार्म 'एफ' की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन फार्मों में एक माह से अधिक में किए गए लेन-देन निहित थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और विभागीय अनुदेशों के अनुसरण का आश्वासन दिया।

#### **(एफ) एच फार्मों के विरुद्ध कर की गलत छूट**

जैसा सी.एस.टी. नियम 1957 के नियम 12 (10) के अधीन प्रावधान है, ए.एज को फार्म एच प्रथम निर्धारण के समय तक प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे, नवंबर 2012 में जारी अनुदेशों द्वारा ए.एज को फार्मों एच/वैट डी-2 के प्रस्तुत करने के लिए समय की अनुमति न देने के निर्देश दिए गए थे।

डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पूर्व), झज्जर और पानीपत के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ए.एज ने 16 डीलरों के निर्धारण के समय ₹ 25.66 करोड़ मूल्य के फार्म एच की प्रस्तुति न करने के एवज में कर की पूर्ण दर पर मामलों का निर्धारण किया और एच फार्म की प्रस्तुति पर छूट के लाभ की अनुमति निर्धारण के बाद दे दी। ए.एज द्वारा इन फार्मों को निर्धारण की तिथि तक स्वीकृत करना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ के कर की गलत छूट दी गई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और विभागीय अनुदेशों का अनुसरण करने का आश्वासन दिया।

#### **(जी) हस्तचालित सी फार्मों को गलत जारी करना**

प्रत्येक पंजीकृत डीलर, जो अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, एक पंजीकृत डीलर को विक्रय करता है, सी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत घोषणा फार्म सी के विरुद्ध दो प्रतिशत की रियायती दर पर कर के भुगतान का दायी होगा।

विभाग ने जून 2015 से प्रभावी सी फार्मों को ऑनलाईन जारी करने की नई प्रणाली आरंभ की परंतु सी फार्म जारी करने की पुरानी प्रणाली, सी फार्म ऑनलाईन जारी करना प्रारंभ करने के बाद भी चालू रही। सी फार्म ऑनलाईन जारी करना प्रारंभ करने के बाद भी 69,967 सी फार्म 10 चयनित जिलों द्वारा हस्तचालित जारी किए गए। आगे, 1,15,966 सी फार्म दस डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के स्टॉक में पड़े थे। विभाग ने केवल सी फार्म ऑनलाईन जारी करना प्रारंभ किया परंतु अन्य केंद्रीय घोषणा फार्म अभी भी हस्तचालित जारी किए जा रहे थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा तथा आश्वासन दिया कि सभी हस्तचालित सी फार्म मुख्य कार्यालय में वापस मंगवा लिए जाएंगे।

### 2.3.17 निष्कर्ष

विभाग ने सुरक्षा मानकों के साथ केंद्रीय फार्मों के मुद्रण तथा उसका उपयुक्त रिकार्ड रखना सुनिश्चित नहीं किया। केंद्रीय घोषणा फार्मों/लेन-देनों और अवैध फार्मों के विरुद्ध छूट/हस्तांतरण पर कर की रियायत/अविद्यमान डीलरों को माल की बिक्री की अनुमति का सत्यापन करने में विभागीय अनुदेशों की अनुपालन न करने के मामले देखे गए। घोषणापत्र फार्मों के दुरुपयोग के लिए अतिरिक्त कर और पेनल्टी का उद्ग्रहण न होने के मामले देखे गए। बिक्री का गलत श्रेणीकरण, अवैध दस्तावेजों के विरुद्ध अनुमत कटौतियां और घोषणा फार्मों के बिना बिक्री पर कर के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण के मामले देखे गए जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

### 2.3.18 सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार विचार करे:

- (i) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए अनुसार, देय करों की लागू ब्याज तथा पेनल्टी सहित वसूली की जांच करने के लिए, विभाग को अनुदेश जारी करे;
- (ii) नकली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले डीलरों के विरुद्ध एच.वी.ए.टी. अधिनियम/सी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाए;
- (iii) संदिग्ध डीलरों का डाटाबेस कर की समझ प्रयोजनों के लिए रखा जाए; तथा
- (iv) आंतरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग यंत्रावली में त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए, विभाग को राज्य राजस्व के और रिसाव को रोकने के लिए जी.एस.टी. के अधीन मॉनीटरिंग के वर्धित स्तर को सुनिश्चित करना चाहिए।

## अन्य अनुपालन अभ्युक्तियाँ

### 2.4 बिक्रियों/क्रयों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन

108 अपंजीकृत निर्माण-कार्य ठेकेदारों तथा 28 डीलरों ने ₹ 247.25 करोड़ के विक्रय छिपाए, परिणामस्वरूप ₹ 49.78 करोड़ के कर एवं पेनल्टी का अपवंचन हुआ। विभाग द्वारा पांच मामलों में 14 से 19 माह की समाप्ति के बाद भी ₹ 11.43 करोड़ की पेनल्टी के उद्ग्रहण के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी। 19 मामलों में ₹ 83.72 करोड़ का स्टॉक छिपाया गया था परिणामस्वरूप ₹ 24.28 करोड़ के कर एवं पेनल्टी का अपवंचन हुआ। डीलरों ने तीन मामलों में ₹ 5.08 करोड़ का क्रय छिपाया था परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ के कर एवं पेनल्टी का अपवंचन हुआ।

#### 2.4.1 प्रस्तावना

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों राज्य में आयातों या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे तथा गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए गए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जिसमें किसी सामग्री के विवरण झूठे या गलत हैं, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाता है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

पन्द्रह<sup>27</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान तैयार किए गए निर्धारण से संबंधित अभिलेखों की मार्च 2015 तथा जून 2017 के मध्य नियमित लेखापरीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए नमूना-जांच की गई थी कि क्या सभी विक्रय/क्रय समुचित रूप से ध्यान में रखे गए थे तथा डीलरों द्वारा कर का अपवंचन रोकने के लिए नियमों एवं अनुदेशों की अनुपालना की गई थी। अपंजीकृत निर्माण-कार्य ठेकेदारों द्वारा कर के अपवंचन की सीमा की जांच करने के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) तथा नगर निगमों (एम.सी.) से भी सूचना एकत्र की गई थी।

#### 2.4.2 अपंजीकृत डीलरों/ठेकेदारों द्वारा बिक्रियों के छिपाव के कारण कर का अपवंचन

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 48 निर्धारित करती है कि कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) किसी कार्यवाही से संबंधित अन्य विभागों/निगम/व्यक्तियों से अथवा कर प्रबंध के लिए उपयोगी सूचना/डाटाबेस की मांग कर सकता है। धारा-16 में अपंजीकृत डीलरों के कर-निर्धारण के दौरान नियत किए गए कर के बराबर कर तथा पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान है। आगे, एच.वी.ए.टी. नियम का नियम 10 (2) प्रावधान करता है कि एक डीलर, जिसके मामले में एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 3 (2) में विनिर्दिष्टानुसार कर-योग्य प्रमात्रा ₹ पांच लाख है, यदि किसी वर्ष में उसका सकल टर्नओवर पहली बार कर-योग्य प्रमात्रा से

<sup>27</sup> अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार, जगाधरी, जींद, कैथल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा तथा सोनीपत।

अधिक हो जाता है तो वह अगले दिन से कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा तथा एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 11 (2) के अंतर्गत पंजीकरण अपेक्षित है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) हिसार, अंबाला तथा पंचकूला के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने अन्य विभागों के पास उपलब्ध सूचना, जो कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए अपंजीकृत डीलरों की पहचान करने, पंजीकरण करने तथा निर्धारण करने की प्रक्रिया को सुगम बनाती, के क्रास सत्यापन हेतु कोई प्रणाली स्थापित नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने कार्यकारी अभियंता, एच.एस.ए.एम.बी. तथा डी.ई.टी.सी.जे के पंजीकरण अभिलेखों के साथ एम.सी. अंबाला, पंचकूला तथा हिसार के कार्यालयों से एकत्र सूचना का क्रास सत्यापन किया तथा यह पाया गया था कि 108 डीलरों (निर्माण ठेकेदारों) ने पंजीकरण के लिए ₹ पांच लाख के कर-योग्य टर्नओवर की सीमा पार की थी। उन्होंने 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान निर्माण ठेकों के कार्यान्वयन हेतु ₹ 87.42 करोड़ के भुगतान प्राप्त किए। परंतु इन ठेकेदारों ने एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत नहीं करवाया तथा ₹ 87.42 करोड़ की बिक्री छिपाई। संग्रहण तथा अन्य विभागों से सूचना के क्रास सत्यापन हेतु प्रणाली का आरंभ करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप इन अपंजीकृत डीलरों से ₹ 4.65 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत ₹ 4.65 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. हिसार ने उत्तर दिया (मई 2017) कि एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अनुसार अपंजीकृत डीलरों/ठेकेदारों का पंजीकरण करने के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी। ए.ए. अंबाला तथा पंचकूला से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

### 2.4.3 बिक्री के छिपाव के कारण कर का अपवंचन

माल के जाली टैक्स इनवाईसिस या झूठे लेखांकन जारी करके कर अपवंचन रोकने के उद्देश्य से ई.टी.सी. हरियाणा ने वर्ष में एकल वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक योग वाले सभी बिक्री/खरीद लेनदेनों के सत्यापन हेतु अनुदेश जारी (मार्च 2006) किए। आगे, बेहतर कर प्रशासन हेतु कर अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण पर विचारार्थ वैट का आरंभ किया जाना चाहिए। सभी बिक्री/खरीद लेन-देन, बिक्री/खरीद लेन-देनों के सत्यापन हेतु विभागीय वैबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए।

2.4.3.1 ग्यारह<sup>28</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के वर्ष 2011-12 से 2014-15 के अभिलेखों की संवीक्षा तथा 2013-14 से 2015-16 के दौरान ए.ए. द्वारा कर-निर्धारण ने प्रकट किया कि 19 डीलरों ने उनके तिमाही/वार्षिक रिटर्नों में ₹ 124.68 करोड़ की बिक्रियां नहीं दर्शाई थी, हालांकि क्रेता डीलर ने इन डीलरों से किए गए क्रयों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का दावा किया था। क्रय/विक्रय लेन-देन विभाग द्वारा वैबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए थे तथा ए.ए. ने कर-निर्धारण अंतिम करते समय क्रेता के अभिलेखों के संदर्भ में बिक्री के छिपाव के विवरण सत्यापित नहीं किए परिणामस्वरूप ₹ 124.68 करोड़ की बिक्री का छिपाव हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.86 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त

<sup>28</sup> अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व तथा पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व तथा पश्चिम), जींद, कैथल, पंचकूला, पानीपत तथा सिरसा।



₹ 23.58 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.एज कैथल, फरीदाबाद (पूर्व) तथा सिरसा ने बताया (मई तथा जून 2017) कि तीन मामलों में ₹ 5.59 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। तीन<sup>29</sup> ए.एज ने बताया कि पांच मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी (आर.ए.) को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिए गए थे। ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने बताया कि दो मामलों में पुनः कर-निर्धारण हेतु नोटिस जारी किए गए थे। ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व) ने बताया कि एक मामला परीक्षाधीन था। ए.ए. भिवानी ने बताया कि एक डीलर ने पानीपत के क्रेता डीलर को माल की बिक्री न करने के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि विक्रेता/क्रेता डीलरों के मध्य बिक्री/खरीद लेन-देनों के संबंध में समुचित जांच के बिना शपथ-पत्र के तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता चूंकि क्रेता डीलर ने विक्रेता डीलर से किए गए क्रयों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ का दावा किया था। ए.ए. जींद ने बताया कि एक मामले में बिक्री के छिपाव के तथ्यों का सत्यापन करने के लिए डी.ई.टी.सी. करनाल से पूछताछ की जाएगी (मई 2017)। ए.एज गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम) तथा भिवानी से पांच मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

**2.4.3.2** चार<sup>30</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के वर्ष 2010-11 से 2013-14 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विक्रेता डीलरों ने एच.वी.ए.टी. की धारा 14 के प्रावधानों के उल्लंघन में चार मामलों में उनके तिमाही/वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं किए थे, तथा विक्रेता डीलरों ने उनके तिमाही रिटर्न में छः मामलों में क्रेता डीलरों को उनकी बिक्री नहीं दर्शाई थी और इन मामलों में ए.ए. द्वारा कोई कर-निर्धारण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सत्यापन पर यह देखा गया था कि क्रेता डीलरों ने इन डीलरों से किए गए ₹ 35.15 करोड़ के क्रयों के आधार पर आई.टी.सी. के लाभ का दावा किया था तथा विक्रेता डीलरों ने क्रेता डीलरों को किए गए विक्रयों पर कर का भुगतान नहीं किया था। इस प्रकार, ₹ 35.15 करोड़ की बिक्री के छिपाव के परिणामस्वरूप ₹ 2.26 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 6.78 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.एज फरीदाबाद (पूर्व) तथा फरीदाबाद (पश्चिम) ने चार मामलों में बताया कि मार्च 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य ₹ 2.40 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। ए.एज पानीपत तथा गुरुग्राम (पश्चिम) ने दो मामलों में बताया कि ये आर.ए. को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिए गए थे। ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व) ने बताया कि तीन मामलों में डीलरों को नोटिस जारी किए गए थे। ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने बताया कि फर्म का पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आर.सी.) 24 फरवरी 2011 को रद्द किया गया था क्योंकि डीलर ने 2009 से रिटर्न फाइल नहीं की थी। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि ए.ए. को अधिनियम की धारा 15 (5) के प्रावधानों के अनुसार मामले का कर-निर्धारण करना था जिसमें यदि एक डीलर रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है तो ए.ए. को तीन वर्षों की समाप्ति से पहले मामले का कर-निर्धारण करना होता है। इसके अतिरिक्त डीलर ने वर्ष 2010-11 में बिक्रियां

<sup>29</sup> अंबाला, पंचकूला तथा पानीपत।

<sup>30</sup> फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पश्चिम) तथा पानीपत।

की क्योंकि क्रेता डीलरों ने इन बिक्रियों के विरुद्ध आई.टी.सी. के लाभ का दावा किया था। ए.ए. पानीपत से एक मामले में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

#### 2.4.4 पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पश्चिम) तथा गुरुग्राम (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन डीलरों ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 के मध्य पांच मामलों में ₹ 73.56 करोड़ की बिक्रियां छिपाईं। कर-निर्धारण अंतिम करते समय (जून 2015 तथा अगस्त 2015 के मध्य) ए.एज ने ₹ 3.81 करोड़ का कर उद्ग्रहीत किया किंतु ₹ 11.43 करोड़ की पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफल रहे। इन मामलों में से डी.ई.टी.सी. कार्यालय गुरुग्राम (पश्चिम) तथा फरीदाबाद (पश्चिम) के तीन मामलों में कर-निर्धारण आदेश में यह उल्लिखित किया गया था कि धारा 38 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई पृथक रूप से की जाएगी किंतु 14 से 19 माह की समाप्ति के बाद भी ए.एज द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, ए.एज की ओर से कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप ₹ 11.43 करोड़ की पेनल्टी का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.एज गुरुग्राम (पश्चिम) ने बताया कि एक मामले में डीलर को नोटिस जारी किया गया था। ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने चार मामलों में बताया (फरवरी 2017) कि डीलरों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

#### 2.4.5 स्टॉक के छिपाव के कारण कर का अपवंचन

आठ<sup>31</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के वर्ष 2011-12 से 2014-15 के अभिलेखों की संवीक्षा तथा वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान ए.एज द्वारा कर-निर्धारण ने प्रकट किया कि 11 मामलों में डीलरों के विक्रय/क्रय के अनुसार क्लोजिंग स्टॉक ₹ 31.54 करोड़ लिया जाना था किंतु ट्रेडिंग अकाउंट के अनुसार यह ₹ 8.48 करोड़ था। पांच मामलों में डीलरों ने ₹ 53.68 करोड़ का माल खरीदा किंतु ट्रेडिंग अकाउंट के अनुसार ये माल न तो बेचे गए थे और न ही क्लोजिंग स्टॉक में लिए गए थे। डी.ई.टी.सी. पानीपत के एक मामले में वर्ष 2011-12 के लिए डीलर का क्लोजिंग स्टॉक ₹ 0.96 करोड़ था, तथापि, वर्ष 2012-13 के लिए ओपनिंग स्टॉक ₹ 0.06 करोड़ लिया गया था। दो मामलों में क्लोजिंग स्टॉक ₹ 6.48 करोड़ लिया जाना था किंतु ट्रेडिंग अकाउंट में ₹ 0.40 करोड़ लिया गया था तथा शेष स्टॉक मूल्य 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि लेखा में लिया गया था। इस प्रकार, ₹ 83.72 करोड़ का स्टॉक डीलरों द्वारा छिपाया गया था परिणामस्वरूप ₹ 6.07 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 18.21 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहण थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.एज जगाधरी, सिरसा तथा पानीपत ने बताया कि 12 मामले आर.ए. को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिए गए थे। ए.ए. गोहाना ने एक मामले में बताया कि मामला परीक्षाधीन था। ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) तथा गुरुग्राम (पश्चिम) ने बताया कि तीन मामलों में डीलरों को नोटिस जारी किए गए थे। ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने बताया कि एक डीलर ने टाइम बार स्टॉक बेचा था। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि रसीद माल की

<sup>31</sup> फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), जगाधरी, जींद, पानीपत, सिरसा तथा ई.टी.ओ. गोहाना (सोनीपत)।

बिक्री में लेने की बजाय 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई गई थी। ए.ए. जीद ने एक मामले में उत्तर दिया कि सभी बिक्रियां वार्षिक रिटर्न (वैट आर-2) में ली गई थी। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि डीलर द्वारा दर्शाई गई बिक्रियां तीसरी और चौथी तिमाहियों में ₹ 1.03 करोड़ की खरीद के विरुद्ध ₹ 0.57 करोड़ की थी तथा ₹ 0.46 करोड़ का शेष माल क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिया गया था। ए.ए. जगाधरी ने एक मामले में उत्तर दिया कि माल स्टॉक में लिया गया था। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि डीलर ने स्टॉक का मूल्य 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि लेखा में लिया था जिसका कर-निर्धारित नहीं किया गया था।

#### 2.4.6 क्रयों के छिपाव पर कर तथा पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

तीन<sup>32</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के वर्ष 2011-12 से 2013-14 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान कर-निर्धारण किए गए तीन मामलों में ₹ 5.08 करोड़ के क्रय कम बताए गए थे। डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पूर्व) के एक मामले में विक्रेता डीलर ने ₹ 10.68 करोड़ की बिक्री की किंतु क्रेता डीलर ने ₹ 10.06 करोड़ की खरीद ली। डी.ई.टी.सी. अंबाला के एक मामले में ₹ 3.28 करोड़ का स्टॉक राज्य के बाहर से प्राप्त किया गया था किंतु खाते में लिया गया स्टॉक ₹ 3.04 करोड़ का था। डी.ई.टी.सी. रेवाड़ी के एक मामले में डीलर ने ₹ 4.22 करोड़ की अंतर्राज्य क्रय किए किंतु ये क्रय खाते में नहीं लिए गए थे। इस प्रकार, ₹ 5.08 करोड़ के क्रयों के छिपाव के परिणामस्वरूप ₹ 0.27 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.82 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहण थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए.ज अंबाला ने बताया (मई 2017) कि मामला आर.ए. को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिया गया था। ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया (अगस्त 2015) कि डीलर को नोटिस जारी किया गया था। ए.ए. रेवाड़ी ने बताया (मई 2017) कि पुनः कर-निर्धारण प्रक्रिया आरंभ की गई थी।

#### निष्कर्ष

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ की गई थी कि क्या सभी विक्रय/क्रय समुचित रूप से लेखे में लिए गए थे तथा डीलरों द्वारा कर का अपवंचन रोकने के लिए नियमों/अनुदेशों की अनुपालना की गई थी। लेखापरीक्षा ने स्थापित किया कि विक्रयों/क्रयों की गणना तथा अन्य विभागों से डाटा के संग्रहण के संबंध में नियमों/अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 86.58 करोड़ के कर तथा पेनल्टी का अपवंचन हुआ।

उपर्युक्त बिंदु आबकारी एवं कराधान विभाग तथा सरकार को जून 2017 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

## 2.5 गलत वर्गीकरण के कारण कर का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 6.63 करोड़ के कर तथा ₹ 3.00 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iii) एवं (iv) विनिर्दिष्ट करती है कि माल के वर्गीकरण के आधार पर अधिनियम की 'ए' से 'जी' तक की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्रहण है। उपर्युक्त अनुसूचियों में वर्गीकृत न की गई मर्दों पर, 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत कर की सामान्य दर पर कर उद्ग्रहण है।

**2.5.1** प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग ने 25 मार्च 2013 को स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के टैक्सटाइल्स, जिन पर मूल्य बढ़ाने वाला कार्य जैसे बुनाई, कढ़ाई किया गया है, पर अवर्गीकृत माल के रूप में कर उद्ग्रहण है। आगे, 02 अप्रैल 2010 से कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्रहण था। इसके अतिरिक्त, कर के भुगतान में चूक के मामले में, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रहण था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम) तथा सोनीपत के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन डीलरों ने 2011-12 तथा 2013-14 के मध्य ₹ 44.33 करोड़ के कढ़ाई किए गए फैब्रिक्स बेचे तथा माल का कर मुक्त के रूप में दावा किया। ए.ए.ए. ने नवंबर 2013 तथा नवंबर 2015 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अंतर्गत इसे फैब्रिक्स की बिक्री के रूप में मानते हुए कटौतियां अनुमत कर दी। तथापि, कढ़ाई किए गए फैब्रिक्स, विनिर्दिष्ट न होने के कारण 13.125 प्रतिशत की दर पर करयोग्य थी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 5.82 करोड़ की राशि के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.79 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत ने सूचित किया (मार्च 2017) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। ए.ए. गुरुग्राम (पश्चिम) ने मार्च 2017 में सूचित किया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा। ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने जुलाई 2017 में सूचित किया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

**2.5.2** वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ने 18 नवंबर 2011 को स्पष्ट किया कि हाई डेनसिटी पोलिथिलिन पाईपस (एच.डी.पी.ई.) कर मुक्त मद नहीं हैं। प्रधान सचिव ने आगे 11 मार्च 2013 को स्पष्ट किया कि सभी प्रकार की पाईपें कर योग्य हैं तथा एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा की अनुसूची 'सी' की प्रविष्टि 60 के अंतर्गत आवृत हैं और पांच प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। 02 अप्रैल 2010 से कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्रहण है। आगे, कर के भुगतान में चूक के मामले में, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रहण था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) तथा रेवाड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि दो डीलरों ने 2012-13 में ₹ 8.56 करोड़ के पाईप बेचे तथा पाईपों की बिक्री को कर मुक्त के रूप में दावा किया। ए.एज ने अगस्त तथा नवंबर 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अंतर्गत इसे कर मुक्त माल के रूप में मानते हुए कटौतियां अनुमत कर दी। तथापि, पाईपें अनुसूची 'सी' में वर्गीकृत हैं तथा पांच प्रतिशत की दर पर कर एवं सरचार्ज कर योग्य हैं। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 44.94 लाख की राशि के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ, इसके अतिरिक्त, ₹ 21.41 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व) ने बताया (सितंबर 2016) कि ₹ 36.95 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। ए.ए. रेवाड़ी ने सूचित किया (मार्च 2017) कि पुनः कर-निर्धारण हेतु डीलर को नोटिस भेजा गया था।

**2.5.3** सरकार ने 23 जून 2014 को स्पष्ट किया कि जहां तक 'विभिन्न पैकेजिंग में पनीर तथा कॉटेज चीज' का संबंध है यह 'कॉटेज चीज' है जोकि अनुसूची 'सी' की प्रविष्टि-81 के अंतर्गत आता है अर्थात् 'स्कीमड मिल्क पाउडर, अल्ट्रा हाई टैंप्रेचर मिल्क, कॉटेज चीज', इस प्रकार पांच प्रतिशत की दर पर कर योग्य है किंतु 'पनीर' कॉमन ट्रेड पारलैस में पृथक एवं विशेष उपयोगी वस्तु होने से अवर्गीकृत मद होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर पर वैट आकृष्ट करेगा। कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज के रूप में 2 अप्रैल 2010 से अतिरिक्त कर उद्ग्रहण है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) तथा जींद के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन डीलरों ने वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान ₹ 4.59 करोड़ मूल्य का पनीर तथा मक्खन बेचा पांच प्रतिशत की दर पर ₹ 24.09 लाख के कर तथा उस पर सरचार्ज का भुगतान किया। ए.एज ने सितंबर 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय भी सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार सरचार्ज जमा 12.5 प्रतिशत के कर की सही दर की बजाए सरचार्ज जमा पांच प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहीत किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 36.13 लाख की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.एज जींद तथा फरीदाबाद (पूर्व) ने अगस्त 2015 तथा सितंबर 2016 के मध्य सूचित किया दो डीलरों के मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिए गए थे।

मामला अगस्त 2015 तथा फरवरी 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मार्च एवं अप्रैल 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

## 2.6 बिक्री न किए गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ

इयूटी एवं एनटाइटलमेंट पासबुक हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ढंग से अनुमत किया गया था क्योंकि वह पुनः बिक्री हेतु उपयोग नहीं किया गया था तथा देय सीमा शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया गया था परिणामस्वरूप एक डीलर को ₹ 2.68 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति हुई। आगे, ₹ 1.28 करोड़ की आई.टी.सी. गलत ढंग से अनुमत की गई थी क्योंकि विक्रेता डीलर ने वर्ष के दौरान कोई बिक्री नहीं दर्शाई थी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, की धारा 8 के अनुसार, माल के क्रय पर आई.टी.सी., ऐसे माल की बिक्री अथवा राज्य में उससे विनिर्मित माल अथवा अन्तर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य पर कर-देयता के विरुद्ध अनुमत है। आगे, अधिनियम की धारा 38, झूठी सूचना तथा गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडात्मक कार्रवाई (बचाए गए कर/दावे किए गए लाभ तथा तीन गुना पेनल्टी) का प्रावधान करती है।

2.6.1 सरकार ने स्पष्ट किया था (22 अप्रैल 2013) कि आई.टी.सी. केवल तभी उपलब्ध है यदि इयूटी क्रेडिट्स सक्रिप्स पुनः बिक्री के लिए खरीदे जाते हैं तथा यदि ये कस्टम इयूटी के समायोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), रेवाड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक डीलर ने 2011-12 के दौरान ₹ 2.68 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद ₹ 51.03 करोड़ मूल्य के इयूटी एनटाइटलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) क्रय किया। डीलर ने उसे, उसके द्वारा देय कस्टम इयूटी के समायोजन के लिए प्रयोग किया। चूंकि डीलर द्वारा माल (सक्रिप्स) बेचे नहीं गए थे, कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं था। तथापि, मार्च 2015 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय ए.ए. ने डीलर को आई.टी.सी. दावे अनुमत कर दिए परिणामतः ₹ 2.68 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत अनुमति हुई, इसके अतिरिक्त ₹ 2.68 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. रेवाड़ी ने सूचित किया (जुलाई 2017) कि आर.ए. ने ₹ 5.36 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की थी। तथापि, डीलर ने हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल में अपील फाईल की जो अभी तक लंबित है।

2.6.2 ई.टी.सी. हरियाणा ने जुलाई 2013 में अनुदेश जारी किए कि कर के वास्तविक भुगतान के प्रत्येक स्तर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का शत प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुरुग्राम (पूर्व) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि दो डीलरों के वर्ष 2010-11 से 2012-13 के कर-निर्धारण मामले अंतिमकृत किए गए थे (जून 2013 तथा अक्टूबर 2014 के मध्य) तथा विक्रेता डीलर द्वारा कर के भुगतान का सत्यापन किए बिना ₹ 1.28 करोड़ के आई.टी.सी. का लाभ अनुमत किया गया था। सत्यापन पर विक्रेता डीलर पंजीकृत नहीं पाए/शून्य रिटर्न फाइल किए गए पाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत अनुमति हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 3.84 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. ने बताया कि मामलों का पुनः कर-निर्धारण किया गया था तथा ₹ 1.24 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 2.54 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। ए.ए. के उत्तर पूरी तरह सही नहीं थे क्योंकि ए.ए. से धारा 38 के अंतर्गत ब्याज की बजाय अतिरिक्त मांग पर तीन गुना पेनल्टी उद्ग्रहण करनी अपेक्षित थी।

मामला मई 2015 तथा जुलाई 2016 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा फरवरी एवं मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

### 2.7 केन्द्रीय बिक्री पर कर का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 30 करोड़ की अंतर्राज्य बिक्रियों पर केन्द्रीय बिक्री कर का उद्ग्रहण छोड़ दिया परिणामस्वरूप ₹ 3.77 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) की धारा 9 (2) के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत सरकार की ओर से इस अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के अंतर्गत एक डीलर द्वारा देय किसी कर के कर-निर्धारण, पुनः कर-निर्धारण, भुगतान के संग्रहण एवं प्रवर्तन के लिए कुछ समय के लिए प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान की जाएगी क्योंकि यदि ऐसे डीलर द्वारा देय कर राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के अंतर्गत देय है; तथा इस प्रयोजन के लिए वे राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून प्राप्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सिरसा तथा फरीदाबाद (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि दो डीलरों ने वर्ष 2013-14 में ₹ 30 करोड़ मूल्य का माल अन्य राज्य के डीलरों को बेचा। नवंबर तथा दिसंबर 2015 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय ए.ए. ने उपर्युक्त बिक्रियों पर सी.एस.टी. का उद्ग्रहण छोड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.77 करोड़ की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. सिरसा तथा फरीदाबाद (पश्चिम) ने बताया (मई 2016 तथा जनवरी 2017 के मध्य) कि ₹ 3.77 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी।

मामला सितंबर 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा अप्रैल 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

## 2.8 ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच मामलों में ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया तथा दो मामलों में ब्याज कर के विलंबित भुगतान पर कम उद्ग्रहीत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) इसके साथ-साथ निर्धारित करती है कि यदि कोई डीलर, अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो यदि भुगतान नब्बे दिनों के अंदर किया जाता है तो एक प्रतिशत प्रति माह की दर पर, तथा चूक नब्बे दिनों के बाद जारी रहती है तो समस्त अवधि के लिए, कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम अवधि से उसके भुगतान करने की तिथि तक दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर साधारण ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), अंबाला, गुरुग्राम (पूर्व) तथा ई.टी.ओ. टोहाना के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पांच डीलरों ने अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया। ए.एज ने वर्ष 2010-11 तथा 2013-14 के लिए जनवरी 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम किए किंतु रिटर्न के अनुसार कर के देरी से भुगतान/भुगतान न करने पर पांच मामलों में ₹ 1.12 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया तथा दो मामलों में ₹ 1.39 करोड़ का ब्याज कर के विलंबित भुगतान पर कम उद्ग्रहीत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने सूचित किया (सितंबर 2016) कि एक मामले में ₹ 14.14 लाख के ब्याज की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा दो मामलों में ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई थी। ए.एज अंबाला, गुरुग्राम (पूर्व) तथा टोहाना ने सूचित किया कि चार मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिए गए थे।

मामला अगस्त 2014 तथा फरवरी 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मार्च 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।



## 2.9 कर योग्य टर्नओवर की गलत कटौती

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने गलत ढंग से कर योग्य टर्नओवर की उच्चतर कटौती अनुमत की परिणामस्वरूप, ₹ 0.76 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 61.96 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. नियम, 2003 के नियम 49 प्रावधान करता है कि अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने हेतु दायी ठेकेदार, राज्य में निष्पादन के लिए उसे सौंपे गए निर्माण ठेके के संबंध में ठेके के निष्पादन में आवेष्टित संपत्ति के हस्तांतरण पर अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा देय कर के बदले में निर्माण ठेके के निष्पादन के लिए प्राप्त कुल मूल्यवान प्रतिफल के चार प्रतिशत पर परिकल्पित एकमुश्त राशि का भुगतान कर सकता है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 42 प्रावधान करती है कि यदि एक निर्माण ठेकेदार, उप-ठेकेदार को नियुक्त करता है तो ठेकेदार और उप-ठेकेदार माल में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से कर का भुगतान करने के लिए दायी होंगे।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक डीलर ने वर्ष 2011-12 के दौरान निष्पादित कार्य के लिए ₹ 44.33 करोड़ का प्रतिफल प्राप्त किया। डीलर एक उप-ठेकेदार था तथा कर के बदले में एक मुश्त राशि का भुगतान करने का विकल्प दिया। ए.ए. ने वर्ष 2011-12 के लिए कर-निर्धारण अंतिम करते समय (मार्च 2015) इस आधार पर ₹ 44.33 करोड़ (संपूर्ण जी.टी.ओ.) की कटौती अनुमत की कि मुख्य ठेकेदार द्वारा कर का भुगतान किया जा चुका है। तथापि, ए.ए. यह स्थापित करने में विफल रहा कि मुख्य ठेकेदार ने ₹ 44.33 करोड़ की कुल राशि पर कर का भुगतान किया था। मुख्य ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की संवीक्षा ने प्रकट किया कि उसने मुख्य ठेकेदार द्वारा आपूरित सामग्री के रूप में ₹ 18.89 करोड़ की राशि कम करते हुए वर्ष 2011-12 के दौरान इस उप-ठेकेदार की ओर से केवल ₹ 25.44 करोड़ के कार्य पर कर का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप आपूरित सामग्री की राशि पर ₹ 0.76 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 61.96 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. पंचकूला ने सितंबर 2017 में सूचित किया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

मामला दिसंबर 2015 में आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मार्च 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2017)।

## 2.10 परिगणना त्रुटि के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारण अंतिम करते समय परिगणना त्रुटि के कारण ₹ 1.17 करोड़ के कर का अवनिर्धारण किया।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत, कोई कर लगाने वाले प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी, किसी मामले में, उसके द्वारा पारित आदेश की प्रति की आपूर्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर किसी समय, प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले के अभिलेखों से स्पष्ट लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि को सुधार सकता है।

ई.टी.ओ. (एस.टी.) हांसी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक डीलर ने 2012-13 के दौरान ₹ 15.56 करोड़ मूल्य की बिक्री की थी। ए.ए. ने मार्च 2016 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय ₹ 74.71 लाख की सही राशि की बजाय ₹ 7.48 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की। आगे, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ए.ए. ने मार्च 2015 के दौरान वर्ष 2011-12 के लिए एक डीलर के कर-निर्धारण अंतिम करते समय ₹ 24.76 लाख की राशि का आई.टी.सी. अनुमत नहीं किया। तथापि, ए.ए. ने आई.टी.सी. की गणना करते समय उसकी कटौती करने की बजाए यह अनुमत न की गई आई.टी.सी. जोड़ दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ (₹ 67.23 लाख + ₹ 49.53 लाख) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. हांसी ने बताया (अप्रैल 2017) कि त्रुटि सुधार दी गई थी तथा ₹ 67.23 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने अनुच्छेद को स्वीकार किया तथा सूचित किया (जुलाई 2017) कि लिपिकीय त्रुटि के सुधार हेतु डीलर को नोटिस जारी किया गया है।

मामला सितंबर 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2017)।

## 2.11 आगे लाया गया अधिक टैक्स क्रेडिट

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 8.88 लाख के वास्तविक के विरुद्ध ₹ 42.76 लाख के आगे लाए गए इनपुट टैक्स का समायोजन अनुमत किया परिणामस्वरूप ₹ 33.88 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 20 (2) (बी) प्रावधान करती है कि कर की दर में अंतर के कारण माल की बिक्री पर सी.एस.टी. सहित कर से अधिक बढ़ने वाले शेष इनपुट टैक्स को भविष्य में कर देयता के साथ समायोजन हेतु आगे ले जाया जाएगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुरुग्राम (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ए.ए. ने निर्धारण वर्ष 2010-11 से आगे लाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की ₹ 8.88 लाख की वास्तविक राशि के विरुद्ध निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए एक मामले में ₹ 42.76 लाख की राशि का आगे लाया गया, इनपुट टैक्स समायोजित करने की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप 2011-12 के दौरान ₹ 33.88 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी., गुरुग्राम (पश्चिम) ने सूचित किया (सितंबर 2016) कि ₹ 67.75 लाख (ब्याज सहित) की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी।

मामला जून 2016 में आबकारी एवं कराधान विभाग तथा अप्रैल 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

### 2.12 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवमूल्यांकन

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर-निर्धारण अंतिम करते समय 13.125 प्रतिशत कर की सही दर की बजाए 5.25 प्रतिशत की दर पर गलत ढंग से कर उद्ग्रहीत किया परिणामस्वरूप ₹ 2.09 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण/अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.40 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iii) एवं (iv) के अंतर्गत अनुसूची 'सी' में वर्गीकृत कोई उपयोगी वस्तु 15 फरवरी 2010 से पांच प्रतिशत की दर पर कर योग्य है तथा अवर्गीकृत उपयोगी वस्तुएं 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 02 अप्रैल 2010 से उद्ग्रहण कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्रहण है। आगे, धारा 38, दस्तावेजों, झूठी सूचना तथा गलत लेखाओं के आधार पर दावों के लिए दंडात्मक कार्रवाई (बचाया गया कर/दावा किया गया लाभ तथा तीन गुना पेनल्टी) का प्रावधान करती है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रहण था।

**2.12.1** डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक डीलर ने 2012-13 के दौरान 65 डीलरों को ₹ 11.90 करोड़ की स्थानीय बिक्री की तथा 5.25 प्रतिशत की दर पर कर का भुगतान किया। ए.ए. ने नवंबर 2014 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय बिक्री को अलौह धातु के रूप में मानते हुए 5.25 प्रतिशत की दरों पर ₹ 62.47 लाख का कर उद्ग्रहीत किया। क्रेता डीलरों की फाइल की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि कथित डीलर 2012-13 के दौरान फ्लाइंग ऐश की बिक्री में संलग्न था। फ्लाइंग ऐश अवर्गीकृत मद होने के कारण 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य था। इसके परिणामस्वरूप, गलत सूचना प्रस्तुत करने के कारण ₹ 2.81 करोड़ की तीन गुना पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 93.70 लाख (11,89,87,893 X 7.875 प्रतिशत) के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. ने अनुच्छेद को स्वीकार किया (फरवरी 2017) तथा सूचित किया कि मामला समीक्षा हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था।

2.12.2 आठ<sup>33</sup> डी.ई.टी.सी./ई.टी.ओ. (बिक्री कर) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के कर-निर्धारण अंतिम करते समय नौ डीलरों के कर-निर्धारण नीचे विवरणित माल की बिक्री पर लागू कर से कम दर पर कर-निर्धारित किए गए (नवंबर 2013 से नवंबर 2015) थे:

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी./ ई.टी.ओ. का नाम	कर-निर्धारण की अवधि माह	उपयोगी वस्तु	उद्गाह्य कर/ उद्गृहीत कर	कम उद्गृहीत	उद्गाह्य ब्याज (₹ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर
1	बहादुरगढ़	2011-12 से 2012-13 11.03.2014 से 21.11.2014	एयर कंप्रेशर/ ब्लोअर्ज	2732466 1092986	1639480	872442	सरकार ने 22 अक्टूबर 2009 को स्पष्ट किया कि एयर कंप्रेशर/ब्लोअर अवर्गीकृत मद है तथा सरचार्ज जमा 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया (अप्रैल 2017) कि एयर कंप्रेशर/ब्लोअर्ज फार्मासियूटिकल इंडस्ट्री तथा ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में प्लांट एवं मशीनरी के रूप में उपयोग किए जाते हैं तथा मशीनरी का हिस्सा हैं। उत्तर सरकार के स्पष्टीकरण के दृष्टिकोण से सही नहीं था।
2	भिवानी	2011-12 13.11.2013	मोबाइल एस्सेसरीज	1771834 708734	1063100	519502	मोबाइल एस्सेसरीज अवर्गीकृत मद है तथा सरचार्ज जमा 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है किंतु ए.ए. ने 5.25 प्रतिशत की दर पर कर निर्धारित किया। ए.ए. ने उत्तर दिया (मार्च 2017) कि मोबाइल एस्सेसरीज 5.25 प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। उत्तर सही नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स नोकिया बनाम पंजाब राज्य के संबंध में निर्णय दिया था कि मोबाइल एस्सेसरीज कर की सामान्य दर पर कर योग्य थी।

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी./ ई.टी.ओ. का नाम	कर-निर्धारण की अवधि माह	उपयोगी वस्तु	उद्योग/कर/ उद्गृहीत कर	कम उद्गृहीत	उद्योग/कर/ उद्गृहीत ब्याज (₹ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर
3	गुरुग्राम (पूर्व)	07.11.2013 तथा 12.02.2016 के मध्य 2011-12 से 2013-14	सनग्लासिज तथा कढ़ाईदार साडियां	7426838 2970735	4456103	2509864	सनग्लासिज तथा कढ़ाईदार साडियां कर की सामान्य दर अर्थात् 13.125 प्रतिशत पर कर योग्य हैं। तथापि, ए.ए. ने 5.25 प्रतिशत की दर पर कर निर्धारित किया। यह इंगित किए जाने पर ए.ए. ने सूचित किया कि मामले समीक्षा हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे (अप्रैल 2017)।
4	हिसार	2013-14 17.11.2015	रूहअफजा	549142 219657	329485	161667	सरकार ने 01.03.2013 को स्पष्ट किया कि रूहअफजा अवर्गीकृत मद है 12.5 प्रतिशत की दर पर कर तथा सरचार्ज कर योग्य है किंतु ए.ए. ने 5.25 प्रतिशत की दर पर मामले पर कर निर्धारित किया। यह इंगित किए जाने पर ए.ए. ने सूचित किया कि मामले समीक्षा हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे (जून 2016)।
5	जौंद	2012-13 दिनांक 11/8/2014 तथा 2013-14 दिनांक 5/5/2015	रूहअफजा	2379573 951829	1427744	571599	रूहअफजा अवर्गीकृत मद है तथा सरचार्ज जमा 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है किंतु ए.ए. ने 5.25 प्रतिशत की दर पर मामले पर कर निर्धारित किया। ए.ए. ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि डीलर ने कर का भुगतान करने के बाद माल खरीदा तथा डीलर मूलधन पर कर का भुगतान करने के लिए दायी नहीं था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि डीलर ने सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार माल की बिक्री पर लागू कर की दर पर संपूर्ण कर का भुगतान नहीं किया है।

वर्ष 2016-17 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी./ ई.टी.ओ. का नाम	कर-निर्धारण की अवधि माह	उपयोगी वस्तु	उद्ग्राह्य कर/ उद्गृहीत कर	कम उद्गृहीत	उद्ग्राह्य ब्याज (₹ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर
6	जगाधरी	2011-12 दिनांक 19.11.2013 एवं 2012-13 दिनांक 21.10.2014	बायो-फ्यूल	836995 शून्य	836995	402818	अनुसूची 'सी' की प्रविष्टि 13 के अनुसार बायोमास ब्रिक्वेटस 5.25 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है किंतु ए.ए. ने कर मुक्त निर्धारित किया। यह इंगित किए जाने पर ए.ए. ने सूचित किया कि मामले समीक्षा हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे (अप्रैल 2017)।
7	पंचकूला	2013-14 14.09.2015	ड्रायर फेल्ड	932017 शून्य	932017	418786	अनुसूची 'सी' की प्रविष्टि 26 के अनुसार ड्रायर फेल्ड 5.25 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है किंतु ए.ए. ने कर मुक्त निर्धारित किया। ए.ए. ने सूचित किया (मई 2017) कि ड्रायर फेल्ड अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि 51 के अनुसार कर मुक्त है। उत्तर सही नहीं था क्योंकि अनुसूची 'सी' की प्रविष्टि 26 के अनुसार ड्रायर फेल्ड 5.25 प्रतिशत की दर पर कर योग्य था।
8	टोहाना	2012-13 एवं 2013-14 दिनांक 24.08.2015	जी. सी. शीट	1362309 518975	843334	440935	गालवैनिस्ट कोरयूग्रेटिड शीट कर की सामान्य दर अर्थात् 13.125 प्रतिशत पर कर योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया कि मामला समीक्षा हेतु भेजा गया था (अगस्त 2016)।
<b>योग</b>					<b>11528258</b>	<b>5897613</b>	

इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.15 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 58.98 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मामला जून 2015 तथा फरवरी 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा जून 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

### 2.13 निर्माण ठेकेदारों पर कर का कम उद्यहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने गैर-सरकारी संगठन को सरकारी के रूप में मानते हुए सरचार्ज जमा कर की सामान्य दर अर्थात् 12.5 प्रतिशत की बजाए चार प्रतिशत की दर पर कर का निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 0.69 करोड़ के कर का कम उद्यहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 2 (1) (जेड.ई.) (ii) प्रावधान करती है कि निर्माण ठेके के निष्पादन में आवेष्टित माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) जहां ऐसा हस्तांतरण, नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य बहुमूल्य प्रतिफल के लिए है, हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस माल की बिक्री मानी जाएगी। एच.वी.ए.टी. नियम का नियम 49 प्रावधान करता है कि एक निर्माण ठेकेदार या तो निर्माण ठेके की सकल प्राप्तियों के चार प्रतिशत की दर पर कर की एवज में एकमुश्त राशि का भुगतान कर सकता है या निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित माल के मूल्य पर कर का भुगतान कर सकता है। आगे, अधिनियम की धारा 7 (2) प्रावधान करती है कि एक डीलर द्वारा उसके कर योग्य टर्नओवर, जहां तक ऐसा टर्नओवर या उसका कोई हिस्सा सरकार को बेचे गए माल से संबंधित है, पर देय कर चार प्रतिशत पर परिकल्पित किया जाएगा।

डी.ई.टी.सीज (बिक्री कर) भिवानी, कैथल तथा ई.टी.ओ. चरखी दादरी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन डीलरों ने 2010-11 तथा 2012-13 के मध्य नगर निगम (एम.सी.), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) तथा अन्य ऐसे संगठन का कार्य ₹ 7.74 करोड़ मूल्य की लागत पर निष्पादित किया तथा 4.2 प्रतिशत की दर पर कर का भुगतान किया। डीलर ने कर के बदले में एक मुश्त राशि के भुगतान का विकल्प नहीं चुना। ए.एज ने कर-निर्धारण अंतिम करते समय (नवंबर 2013 से फरवरी 2016) गैर-सरकारी संगठन को सरकारी के रूप में मानते हुए सामान्य कर की दर अर्थात् 12.5 प्रतिशत जमा सरचार्ज की बजाय चार प्रतिशत की दर पर कर जमा सरचार्ज का निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 0.69 करोड़ के कर का कम उद्यहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, ए.एज ने बताया कि मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिए गए थे (सितंबर 2016 से अप्रैल 2017)।

मामला जून 2015 तथा मार्च 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2017)।

### 2.14 इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस, जोकि ईंधन के रूप में उपयोग की गई थी, के संबंध में आई.टी.सी. वापस नहीं लौटाई थी परिणामस्वरूप ₹ 19.18 लाख के कर की कम वसूली हुई।

अनुसूची 'ई' क्रम संख्या 1 के साथ पठित हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) की धारा 8 (1) के अंतर्गत, जब पेट्रोलियम उत्पाद तथा प्राकृतिक

गैस, ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है तो इनपुट टैक्स की स्वीकार्यता शून्य के रूप में मानी जाएगी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा, पंचकूला ने भी अनुदेश जारी किए (25 अगस्त 2011) कि यदि पेट्रोलियम उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस, ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं तो ऐसे माल के क्रयों पर भुगतान किए गए वैट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) शून्य होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जगाधरी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक डीलर ने 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान ₹ 4.23 करोड़ का पेट कोक खरीदा तथा उसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया और ₹ 19.18 लाख के आई.टी.सी. का दावा किया। मार्च 2014 तथा दिसंबर 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) ने आई.टी.सी. वापस नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.18 लाख के कर की कम वसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. जगाधरी ने सूचित किया (अप्रैल 2017) कि ₹ 19.18 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। परंतु डीलर ने हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी।

मामला मई 2015 तथा जुलाई 2016 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मार्च 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2017)।